रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1984/श्रावण 10, 1906
No. 301] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1984/SRAVANA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1984

सा.का.नि. 584 (अ).—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 का (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त नियमों के नियम 2 में,—

(1) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, खंड (खख) के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(खख) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त किया गया अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण महानिदेशक अभिप्रेत है;

(2) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) किसी उपक्रम के संबंध में, "मुख्य अधिकारी" से, (i) जहां उपक्रम किसी निगमित निकाय के स्वामित्व में हो वहां—

*टिप्पण :—

*एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1037 (ङ) दिनांक 9-7-70 द्वारा दिनांक 10-7-70 द्वारा प्रकाशित किये गये । बाद में उनका निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्या द्वारा संशोधन किया गया :—

(i) सा.का.नि. 92 दिनांक 8-1-71

(ii) सा.का.नि. 672 दिनांक 29-4-71

(iii) सा.का.नि. 748 दिनांक 6-6-72

(iv) सा.का.नि. 321 (ङ) दिनांक 22-6-72

(v) सा.का.नि. 1016 दिनांक 28-8-74

(vi) सा.का.नि. 1017 दिनांक 10-9-74

(vii) सा०का०नि० 1181 दिनांक 2-8-76

(viii) सा.का.नि. 1392 दिनांक 18-9-76

(ix) सा.का.नि. 1124 दिनांक 4-9-78

(क) निगमित निकाय का प्रबंध निदेशक; या

(ख) निगमित निकाय का कोई अन्य निदेशक, प्रबंधक या सचिव, जिसे ऐसे निगमित निकाय के निदेशक बोर्ड द्वारा उस निमित्त एक संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(ii) जहां उपक्रम फर्म के स्वामित्व में हो, वहां उसका कोई भागीदार;

(iii) जहां उपक्रम किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के स्वामित्व में हो, वहां कुटुम्ब का कर्ता या प्रबंधक;

(iv) जहां उपक्रम व्यष्टियों के संगम, चाहे निगमित हो या नहीं, के स्वोमित्व या नियंत्रण में हो, वहां इस निमित्त लिखित में विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया कोई व्यष्टि;

(v) जहां उपक्रम किसी व्यष्टि के स्वामित्व में हो, वहां स्वयं व्यष्टि;

(vi) जहां उपक्रम किसी न्यास के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, वहां प्रबंध न्यासी या कोई अन्य व्यष्टि जो न्यास का प्रबंध कर रहा है;

अभिप्रेत है ।"

3. उक्त नियमों के नियम 3 के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के खंड (घ), धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (च), धारा 25 और धारा 26 के अधीन किए गए आवेदनों की बाबत यह पर्याप्त होगा, यदि ऐसे आवेदनों के साथ एक मूल प्रति और उसकी छह प्रतियां हों ।"

4. उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ एक हजार रुपए की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप चालान या बैंक ड्राफ्ट होगा ।"।

5. उक्त नियमों के नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5क. धारा 21 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन आवेदन—(1) अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, आवेदन प्ररूप 1-ख में किया जाएगा ।

(2) नियम 5 के उपनियम (2) और उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया, इस नियम के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी आवेदन को भी लागू होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1) के अधीन आवेदन के संबंध में किसी आदेश के पारित किए जाने के पूर्व उपक्रम के स्वामी से ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो वह सरकार आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकेगी ।"

6. उक्त नियमों के नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6क. धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन आवेदन—(1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन केन्द्राय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्ररूप II ख में किया जाएगा ।

(2) नियमों 5 के उपनियम (2) और उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया इस नियम के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी आवेदन को भी लागू होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1) के अधीन दिए गए किसी आवेदन के संबंध में किसी आदेश के पारित किए जाने के पूर्व, आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जो वह सरकार आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकेगी ।"

7. उक्त नियमों के नियम 8 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ दो सौ रुपए की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप चालान या बैंक-ड्राफ्ट होगा ।"

8. उक्त नियमों के नियम 9 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित, रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप चालान या बैंक ड्राफ्ट होगा ।"

9. उक्त नियमों के नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9क. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन— (1) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन में ऐसे किसी आवेदन के किए जाने के कारणों को स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा और उसके साथ आवेदन में किए गए कथन के समर्थन में मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथपत्र भी होगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के समर्थन में किए गए कथन, समय-समय पर संशोधित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (जानकारी) नियम, 1971 में विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुरूप या उस परिस्थितियों के यथासाध्य निकट होंगे ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ एक हजार रुपए की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप चालान या बैंक ड्राफ्ट होगा ।

9ख. धारा 30ख के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन— (1) अधिनियम की धारा 30 ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 8 में किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ पां. सौ रुपए की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप चालान या ड्राफ्ट होगा ।

9ग. धारा 30ग के अधीन सूचना और धारा 30ख के अनुमोदन के लिए आवेदन—(1) धारा 30ग में निर्दिष्ट प्र. सूचना और धारा 30ख के अधीन अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 9 में किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप चालान या बैंकड्राफ्ट होगा ।"

10. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10. फीस का संदाय—(1) अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमों के अधीन संदेय फीस———"104-अन्य साधारण आर्थिक सेवाएं—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन वसूल की गई फीसें—(i) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग और महानिदेशक, अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण, द्वारा वसूल की गई फीस; (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन वसूल की गई आवेदन फीस" लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा करने के लिए चालान द्वारा भारत के लोक खाते में नीचे वर्णित पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में संदत्त की जाएंगी ।

क्रम सं०	नगर	पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का नाम
1.	अहमदाबाद	आश्रम रोड
2.	इलाहाबाद	सिविल लाइंस
3.	बंगलौर	नगर शाखा
4.	मुम्बई	फिरोज शाह मेहता रोड
5.	कलकत्ता	बेबोर्न रोड
6.	चण्डीगढ़	सेक्टर-17
7.	कटक	कटक
8.	दिल्ली	बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली
9.	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम
10.	ग्वालियर	नया बाजार
11.	हैदराबाद	बैंक स्ट्रीट
12.	जयपुर	एम०आई०रोड
13.	जोधपुर	रसाडा कॉलोनी
14.	जालंधर	सिविल लाइन्स
15.	कानपुर	स्वरूप नगर
16.	मद्रास	माऊंट रोड
17.	नागपुर	किस्सवे
18.	पणजी	पिफर्लेकर रोड
19.	पटना	बोरिंग रोड
20.	शिलांग	शिलांग
21.	श्रीनगर	अमीराकादल

(2) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमों के अधीन संदेय फीस भी, वेतन और लेखा अधिकारी, कंपनी कार्य विभाग नई दिल्ली के पक्ष में लिखे गए मांगवेय ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की जा सकेगी ।

(3) चालान/बैंक ड्राफ्ट, यथास्थिति, कंपनी कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग या महानिदेशक, अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण, नई दिल्ली को भेजा जा सकेगा ।"

11. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"11. अधिनियम की धारा 36(3) के अधीन आवेदन.—(1) जहां कोई आवेदन, अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन महानिदेशक द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसकी यह राय है कि आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं साधारण निदेशों के अनुरूप इसका निपटारा किया जा सकता है वहां, वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा करेगा ।

(2) अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) के अधीन महानिदेशक को किए गए आवेदन के साथ उसकी छह अतिरिक्त प्रतियां होंगी ।"

12. नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 11क के रूप में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"11क. रजिस्टर में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां और उसका रखा जाना.—(1) महानिदेशक, अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरणीय करारों की विशिष्टियां और धारा 37 के अधीन आयोग द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश का सार प्ररूप भ के अनुसार रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा ।

(2) महानिदेशक अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्टर का एक विशेष खंड, उसमें ऐसी विशिष्टियां प्रविष्ट करने के लिए रखेगा, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाएं या धारा 66 के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(3) महानिदेशक, करारों के रजिस्टर के विशेष खंड में प्रविष्ट किए जाने के लिए आरक्षित पक्षकारों से भिन्न पक्षकारों के नामों की एक वर्णक्रम अनुक्रमणिका रखेगा ।

(4) महानिदेशक, करारों के अन्तर्वस्तु आने वाले माल या सेवाओं के संबंध में ऐसे करारों का, यथासाध्य, एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार (माल का वर्गीकरण) नियम, 1971 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के आधार पर एक वर्णक्रम अनुक्रमणिका भी रखेगा ।

(5) अधिनियम की धारा 35 के अधीन दिए गए सभी करार और अन्य दस्तावेज पृथक फोल्डरों में, प्रथम संविदाकारी पक्षकार के नाम के अनुसार वर्णक्रम में रखे जाएंगे ।

(6) महानिदेशक अपने द्वारा किए गए अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार और नावाजिब व्यापारिक व्यवहार की बाबत अन्वेषण या आयोग द्वारा की गई जांच की विशिष्टियां भी क्रमश: प्ररूप 11, प्ररूप 11क और 11ख के अनुसार, एक पृथक रजिस्टर में रखेगा ।

13 नियम 12 में,—

(1) "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "महानिदेशक" शब्द रखा जाएगा;

(2) आरंभिक भाग में, "जो अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरणीय है" शब्दों के स्थान पर "जो अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरणीय है" शब्द रखे जाएंगे;

(3) खंड (1) के उप-खंड (क) में "चार-चार" शब्दों के स्थान पर "दो-दो" शब्द रखे जाएंगे;

(4) खंड (i) के उप-खंड (ख) में, "प्ररूप viii" शब्द और अंक के स्थान पर "प्ररूप "12" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(5) खंड (ii) के उप खंड (क) में, "चार-चार" शब्दों के स्थान पर "दो-दो" शब्द रखे जाएंगे;

(6) खंड (ii) के उप-खंड (ख) में, "चार-चार" शब्दों के स्थान पर "दो-दो" शब्द रखे जाएंगे;

(7) खंड (ii) के उपखंड (ग) में, "प्ररूप viii" शब्द और अंक के स्थान पर "प्ररूप 12" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

14. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"13. करारों की परीक्षा और अभिलेखन.—(1) महानिदेशक अपने कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक करार की विशिष्टियों की परीक्षा करेगा या करवाएगा ।

(2) यदि ऐसी परीक्षा करने पर, कोई विशिष्टि किसी भी बाबत त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाई जाती है तो, महानिदेशक, करार को प्राप्त करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उस पक्षकार को, जिसने करार किया है, यह निदेश देगा कि वह, यथास्थिति उसमें की त्रुटियों का सुधार करे या उसमें से हुए लोपों की पूर्ति करे ।

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक दस्तावेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां पृष्ठांकित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) तारीख जिसको यह रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(ख) क्रम संख्यांक और करार-रजिस्टर की पृष्ठ संख्या जिसमें प्रविष्ट किया गया है ।

(4) उप नियम (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक पृष्ठांकन महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उसकी प्राधिकारिक मुद्रा लगी होगी ।

15. नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"13क. महानिदेशक के कर्तव्य और कृत्य (1) (क) महानिदेशक, अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसको सौंपे गए कर्तव्य और कृत्यों के अतिरिक्त आयोग के समक्ष किसी जांच के दौरान किसी कार्यवाही में उपसंजात होने का हकदार होगा ।

(ख) जहां महानिदेशक, आयोग के समक्ष उपसंजात होने का हकदार है वहां वह, व्यैक्तिक रूप से उपसंजात हो सकेगा या उसका प्रतिनिधित्व इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई काउन्सेल कर सकेगा ।

(2) महानिदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह, ऐसे अन्वेषणों का संचालन करे जो अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ।"

16. उक्त नियमों के नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"16. रजिस्टर का निरीक्षण और उसमें से उद्धरण: (1) कोई व्यक्ति, जो विशेष खंड से भिन्न रजिस्टर का निरीक्षण करना चाहता है, निरीक्षण के प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप नियम 10 में निर्दिष्ट चालान या बैंक ड्राफ्ट के साथ महानिदेशक को आवेदन करेगा ।

(2) महानिदेशक, आवेदक को या तो अपनी उपस्थिति में, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति में, रजिस्टर का, रविवारों, प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवारों और सार्वजनिक छुट्टियों से भिन्न किसी भी दिन कार्यालय समय के दौरान 10.30 पूर्वाह्न और 4.00 अपराह्न के बीच किसी भी समय, निरीक्षण करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(3) आवेदक को रजिस्टर में प्रविष्ट की गई किन्हीं प्रविष्टियों के उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, किन्तु उसे रजिस्टर में प्रविष्ट की गई विशिष्टियों से किन्हीं बातों को पेंसिल से टिप्पण करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

(4) कोई व्यक्ति, जो विशेष खंड से भिन्न, रजिस्टर में प्रविष्ट की गई किन्हीं विशिष्टियों की प्रमाणित प्रति या उन विशिष्टियों से उद्धरण प्राप्त करना चाहता है, महानिदेशक को आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन के साथ, नकल किए जाने या उद्धृत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रति एक सौ शब्दों के लिए एक रुपए की फीस होगी ।

(5) इस नियम के उप-नियम (4) के अधीन जारी की गई प्रति महानिदेशक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सही प्रति प्रमाणित की जाएगी ।"

17. (1) उक्त नियमों की अनुसूची में प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप 1

(नियम 5 देखें)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 किसी उपक्रम के स्वामी द्वारा केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त विस्तार करने के अपने आशय की दी जाने वाली सूचना का प्ररूप*

भाग "क"

उपक्रम के बारे में विशिष्टियां

1. उस उपक्रम का नाम और पता जिसका पर्याप्त रूप से विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

2. अधिनियम की धारा 26 के अधीन उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण, संख्यांक और तारीख ।

3. यदि उपक्रम रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो निम्नलिखित उपदर्शित करें :—

(i) वह तारीख जिसको वह रजिस्टर करने के योग्य हो गया; और

(ii) उपक्रम के स्वामी को उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए जारी की गई व्यतिक्रम सूचना, यदि कोई हो, का संख्यांक और तारीख ।

4. यह बताएं कि क्या उपक्रम, अधिनियम की धारा 20 के एक या अधिक खंडों के अधीन आता है, अर्थात् :—

(1) खंड (क)(i)

(2) खंड (क)(ii)

(3) खंड (ख)(i)

(4) खंड (ख)(ii)

5. यदि उपक्रम अधिनियम की धारा 20 के खंड (ख)(i) या खंड (ख)(ii) के अधीन आता है तो उस मद (उन मदों) / उस सेवा (उन सेवाओं) के बारे में बताएं जिसके संबंध में वह प्रधान है ।

6. प्रत्येक अन्तर्संबद्ध उपक्रम का नाम और पता ।

7. उपक्रम के स्वामी की विधिक प्रास्थिति उपदर्शित करें (क्या एकल-स्वत्वधारिता समुत्थान, भागीदारी फर्म/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/नियमित निकाय / अन्य व्यष्टि/संगम या /न्यास है) ।

8. यदि उपक्रम का स्वामी एकल स्वत्वधारिता समुत्थान है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :

(क) स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) का (के) नाम और पता (पते)।

(ख) अन्य संगठनों में ऊपर (क) के सामने वर्णित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्व-धारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां।

9. यदि उपक्रम का स्वामी भागीदारी फर्म है तो, निम्नलिखित ब्यौरे दें:
(क) भागीदारों के नाम और पते।

(ख) अन्य संगठनों में ऊपर (क) के सामने वर्णित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्व-धारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां।

10. यदि उपक्रम का स्वामी निगमित निकाय है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) निगमित निकाय का नाम और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता।

(ख) निगमित निकाय के स्वामित्व के उपक्रम के सभी एककों और प्रभागों के नाम और पते।

(ग) निदेशकों के, जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष, प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हों, भी हैं, नाम और पते।

(घ) अन्य संगठनों / निगमित निकाय में ऊपर (ग) के सामने वर्णित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां

(ङ) निगमित निकाय का प्राधिकृत, अभिदत्त और संदत्त पूंजी (साधारण और अधिमान दोनों)
पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति संलग्न की जाए।

(च) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान शेयर धारण पद्धति

शेयर धारक का नाम	साधारण पूंजी		अधिमान पूंजी	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी की प्रतिशतता	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
(i) संप्रवर्तक				
(ii) संप्रवर्तकों के नातेदार और मित्र				
(iii) निदेशक				
(iv) निदेशकों के नातेदार और मित्र				
(v) सहयुक्त व्यक्ति				
(vi) अन्तसंबद्ध उपक्रम				
(vii) अन्य उपक्रम				
(viii) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक				
(ix) वित्तीय संस्थाएं*				
(x) अनिवासी (विदेशी कंपनी/व्यष्टि)				
(xi) भारतीय जनता				
योग				

*प्रत्येक वित्तीय संस्था के शेयरधारण को एक पृथक पत्रे पर उपवर्णित करें।

(छ) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान उधार :

यह स्रोत जिससे निधि जुटाई गई	उधार जिनके अन्तर्गत लोक निक्षेप भी है	डिबेंचर	योग
1	2	3	4
(i) संप्रवर्तक और निदेशक तथा उनके नातेदार, मित्र और सहयुक्त व्यक्ति			
(ii) अन्तसंबद्ध उपक्रमों के स्वामी			
(iii) अन्य उपक्रमों के स्वामी।			
(iv) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक।			
(v) वित्तीय संस्थाएं*।	4		
(vi) भारतीय जनता			
(vii) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)			
योग			

(ज) विद्यमान ऋण-साधारण अनुपात (कंपनी के संपरीक्षकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

11. यदि उपक्रम किन्हीं माल के उत्पादन में लगा हुआ है तो प्रत्येक वस्तु की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां दें :

(क) वस्तु का नाम

(ख) अनुज्ञप्त क्षमता

(ग) संस्थापित क्षमता

(घ) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार वास्तविक उत्पादन।

12. यदि उपक्रम किन्हीं माल के भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण में लगा हुआ है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) प्रत्येक माल का नाम

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार व्यापाराधर्त।

13. यदि उपक्रम सेवा (सेवाएं) प्रदान करने में लगा हुआ है तो प्रत्येक सेवा की बाबत निम्नलिखित जानकारी दें:-

(क) सेवा की विशिष्टियां

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान सामान्य परिमाण के अनुसार अभिव्यक्त सेवा की मात्रा और ऐसी सेवा से प्राप्त आय और व्यापाराधर्त।

भाग "ख"

प्रस्तावित विस्तार के बारे में विशिष्टियां

14. यदि ए. अ. व्या. व्य. नियम, 1970 के नियम 10 के अधीन यथापेक्षित फीस का संदाय कर दिया गया है।
(बैंक का मांगदेय ड्राफ्ट या चालान की मूल प्रति संलग्न की जाए)।

15. व्यापार जर्नल या समाचारपत्रों के नाम जिनमें, ए. अ. व्या. व्य. नियम, 1970 के नियम 4क के अनुसार साधारण सूचना प्रकाशित की गई है।

(प्रत्येक प्रकाशन की मूल पत्र कतरनें और प्रकाशन की तारीख की बाबत एक प्रमाणपत्र संलग्न किए जाएं)।

16. यदि प्रस्तावित विस्तार माल के उत्पादन से संबंधित है तो निम्नलिखित जानकारी दें:—

(क) वस्तुओं के नाम

(ख) अनुज्ञात क्षमता :

(i) विद्यमान

(ii) प्रस्तावित वृद्धि

(iii) कुल पश्चात्वर्ती विस्तार

(ग) संस्थापित क्षमता :

(i) विद्यमान

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात

(घ) उत्पादन, मात्रा और मूल्य में :

(i) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात प्राक्कलित वार्षिक उत्पादन

(ङ) आस्तियां :

(i) पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात

(च) वैसे ही माल के भारत में कुल उत्पादन में शेयर की प्रतिशतता

उपक्रम का विद्यमान कुल वार्षिक उत्पादन	संपूर्ण देश में विद्यमान कुल उत्पादन	स्तंभ (2) में दिए गए आंकड़ों का/के स्त्रोत	प्रस्तावित विस्तार के पश्चात कुल उत्पादन	(2) के प्रतिशत के रूप में (i)
1	2	3	4	5

17. यदि प्रस्तावित विस्तार का संबंध उत्पादन से न होकर माल के भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण या किसी सेवा के प्रबंध से है तो निम्नलिखित जानकारी दें:-

(क) माल का/के नाम या सेवा की विशिष्टियां

(ख) व्यापारावर्त/आय :

(i) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात

(ग) आस्तियां :

(i) पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात

(घ) अखिल भारतीय आधार पर शेयर की प्रतिशतता:

उपक्रम द्वारा यथास्थिति, भंडार में रखे गए या प्रदाय किए गए या वितरित या विपणन किए गए या नियंत्रित या प्रबंध किए गए माल या सेवाओं का विद्यमान कुल वार्षिक मूल्य	संपूर्ण देश में स्तंभ (i) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं का मूल्य (प्रबंध की गई सेवा/सेवाओं की दशा में व्यापारावर्त)	उपक्रम के प्रस्तावित विस्तार के पश्चात (स्तंभ (i) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं का मूल्य	(2) के प्रतिशत के रूप में (i)	स्तंभ (2) में दिए गए आंकड़ों का/के स्त्रोत
1	2	3	4	5

18. यदि कोई अन्तर्संबद्ध उपक्रम वैसे ही माल के उत्पादन, भंडारकरण प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण में लगा हुआ है या वैसी ही सेवाएं कर रहा है तो निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी के साथ-साथ, उसकी पूर्ण विशिष्टियां दें।

(i) अनुज्ञप्त क्षमता

(ii) संस्थापित क्षमता

(iii) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार वास्तविक उत्पादन / व्यापारावर्त

(iv) अखिल भारतीय आधार पर शेयर की प्रतिशतता (उसी रूप में दिया जाए जैसा ऐसे प्रत्येक उपक्रम की बाबत स्तंभ 17 (घ) में है)

19. संपूर्ण देश में मांग और पूर्ति की स्थिति :—

विद्यमान मांग	अगले वर्षों चालू अगले वर्षीय अवधि (केवल समापन वर्षों) में बढ़ी हुई मांग	5 से 10 में या और पंच-योजना	पहले से ही अनुमोदित क्षमता	वास्तव में संस्थापित क्षमता	पिछले तीन वर्ष में वास्तविक उत्पादन व्यापारावर्त वर्षवार	मांग और पूर्ति के बीच अंतर (1) (1) घटा घटा (3) (5)	स्तंभ (1), (2) (3) (4) और (5) में दी गई जानकारी का/के स्त्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8

20. प्रस्तावित माल की प्रकृति :

(क) क्या समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 2-2-73 की सरकार की औद्योगिक नीति कथन के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित है

(ख) क्या लघु उद्योग सेक्टर के लिए आरक्षित है

(ग) लघु/मध्यम उद्योग सेक्टरों या पब्लिक सेक्टर पर संभाव्य प्रभाव

21. औद्योगिकी:

(क) क्या प्रस्तावित माल के विनिर्माण या प्रस्तावित सेवा में उन्नत प्रौद्योगिकी अन्तर्वलित है।

(ख) क्या प्रौद्योगिकी आवेदक द्वारा या अन्य स्वदेशी अनुसंधान और विकास स्थापन द्वारा विकसित की गई है ।

(ग) विदेशी सहयोग, यदि कोई हो, की विशिष्टियां

22. यह उपदर्शित करें कि क्या उस स्थान जहां विस्तार किया जाना है "उद्योग-रहित जिला" या अन्यथा पिछड़ा जिला है, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

23. प्रस्तावित माल/सेवा (सेवाओं) की निर्यात क्षमता बताएं और क्या आवेदक निर्यात बाध्यता स्वीकार करने को तैयार है, यदि हां तो उसकी सीमा।

24. क्या प्रस्ताव में किन्हीं अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग अन्तर्वलित है ? यदि हां तो ब्यौरे दें।

25. क्या प्रस्ताव में प्रदूषण की दृष्टि से कोई बात है ? यदि हां, तो उन प्रदूषण निवारक उपायों का उल्लेख करें जिन्हें करने का प्रस्ताव है।

26. प्रस्तावित विस्तार से संबंधित प्राक्कलित परियोजना लागत और निम्नलिखित पर किए जाने वाले विनिधान का ब्यौरा :

रु० लाख में

(क) भूमि

(ख) भवन

(ग) मशीनरी

(i) आयातित

(ii) देशी

(घ) कामकाज पूंजी के लिए मार्जिन धन

(ङ) अन्य मदें (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

योग

27. वित्त की प्रस्तावित स्कीम, जिसमें निम्नलिखित से जुटाई जाने वाली रकम स्पष्टत: उपदर्शित की गई हो :

(क) देश में ही निधियों को जुटाना (जो नकदी रु० लाख में प्रवाह विवरण द्वारा समर्थित हो।)

(ख) साधारण पूंजी

(ग) अधिमान पूंजी

(घ) डिबेंचर

(ङ) बैंक

(च) वित्तीय संस्थाएं

(छ) विदेशी मुद्रा उधार

(ज) केंद्रीय सहायकी

(झ) राज्य सहायकी

(ञ) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

योग

28. वित्त की प्रस्तावित स्कीम में संप्रवर्तकों का अभिदाय अर्थात:-

(क) निम्नलिखित के लिए निदेशकों, उनके नातेदारों, मित्रों और सहयुक्त व्यक्तियों और अन्तर्संबद्ध उपक्रमों द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम :

(i) साधारण पूंजी

(ii) अधिमान पूंजी

(iii) डिबेंचर

(iv) अप्रतिभूत उधार

(ख) किसी पक्षकार द्वारा संयुक्त संप्रवर्तक के रूप में अभिदाय की जाने वाली रकम।

(ग) विदेशी सहयोगियों द्वारा, यदि कोई हो, अभिदाय की जाने वाली रकम।

(घ) देश में ही निधियों के जुटाए जाने से उपलब्ध रकम [जैसा कि ऊपर मद सं. 27 के अधीन (क) पर उल्लिखित है]

(ङ) अन्य संप्रवर्तकों द्वारा, यदि कोई हो, अभिदाय की गई रकम (विनिर्दिष्ट करें)।

योग

29. वित्त की प्रस्तावित स्कीम को कार्यान्वित कर दिए जाने के पश्चात ऋण साधारण अनुपात (संपरीक्षकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित ऋण साधारण अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए।

30. क्या ए. अ. व्या. व्य० अधिनियम, 1969 और/या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इसके पूर्व इसी प्रकार का कोई प्रस्ताव किया गया था। यदि हां तो, प्रस्ताव की विशिष्टियां सरकार द्वारा किया गया विनिश्चय और उससे सूचना का संख्यांक और तारीख जिससे विनिश्चय सूचित किया गया था, उपदर्शित किए जाएं।

31. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाए।

मुख्य अधिकारी के

स्थान हस्ताक्षर

तारीख

सत्यापन

"मैं क ख ..... सत्यनिष्ठा से यह कथन करता हूं कि ऊपर मद 1 से 31 में जो कुछ कथित है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।"

मुख्य अधिकारी के

हस्ताक्षर

प्ररूप 1 क

[नियम 4क (1) देखें]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को सूचना देने से पूर्व सर्वसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना का प्ररूप

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि .....,

(यहां उपक्रम के स्वामी का नाम उल्लिखित करें)

अपने उपक्रम का पर्याप्त विस्तार के लिए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन एक सूचना केन्द्रीय सरकार के कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को देने का प्रस्ताव करता है । प्रस्ताव की संक्षिप्त विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

1. उपक्रम के स्वामी का नाम और पता
2. स्वामी के संगठन की पूंजी-संरचना
3. विस्तार किए जाने वाले एकक या प्रभाग का स्थान
4. यदि विस्तार का संबंध माल के उत्पादन भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण से है तो निम्नलिखित उपदर्शित करें :
   (i) माल के नाम
   (ii) विस्तार किए जाने से पूर्व अनुज्ञप्त क्षमता/व्यापारावर्त
   (iii) प्रस्तावित विस्तार
5. यदि विस्तार का संबंध किसी सेवा से है तो मूल्य, व्यापारावर्त आय आदि जैसे सामान्य अध्युपायों के रूप में विस्तार की सीमा बताएं।
6. परियोजना की लागत
7. प्रत्येक स्रोत से जुटाई जाने वाली रकम उपदर्शित करते हुए वित्त की स्कीम

इस विषय में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति सचिव, कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर, प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार सूचित करते हुए और उसमें अपने हित का प्रकार उपदर्शित करते हुए, चार प्रतियों में अभ्यावेदन कर सकेगा ।

हस्ताक्षरित

तारीख (सूचना जारी करने वाले उपक्रम के मुख्य अधिकारी का नाम और पदनाम)"

(2) प्ररूप 1 क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप 1 ख

(नियम 5क देखें)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 । विस्तार की स्कीम या उससे संबंधित वित्त की स्कीम में उपांतरण के लिए आवेदन* का प्ररूप

1. उपक्रम का नाम और पता
2. कृपया बताएं कि क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 10 के अधीन यथाअपेक्षित फीस का संदाय कर दिया गया है (बैंक का मांग वेय ड्राफ्ट या चालान की मूल प्रति संलग्न की जाए)
3. यदि उपक्रम का स्वामी एकल स्वस्वधारिता समुत्थान/भागीदारी फर्म/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/संगम/या न्यास है तो उसकी पूंजी संरचना के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें :

*आवेदन की पांच प्रतियों का भेजा जाना अपेक्षित है ।

(क) स्वामियों द्वारा किया गया विनिधान

(ख) विदेशी भागीदारी, यदि कोई हो, और ऐसी भागीदारी के निबन्धन तथा शर्तें ; और

(ग) उधार, बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्रोतों से जुटाए गए उधारों का ब्यौरा देते हुए ।

4. यदि उपक्रम का स्वामी निगमित निकाय है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) निगमित निकाय का नाम और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता ;

(ख) निगमित निकाय के स्वामित्वाधीन सभी एककों और प्रभागों के नाम और पते ;

(ग) निदेशकों के, जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष, प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हों, भी है, नाम और पते

(घ) अन्य संगठनों/निगमित निकाय में ऊपर (ग) के सामने दर्शित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वस्वधारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां ;

(ङ) निगमित निकाय की प्राधिकृत , अभिदत्त और समादत्त पूंजी (साधारण और अधिमान दोनों) (पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति संलग्न की जाए)

(च) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान शेयर धारण पद्धति :

शेयर धारक का नाम	साधारण पूंजी		अधिमान पूंजी	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी की प्रति-शतता	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी की प्रति-शतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) संप्रवर्तक				
(ii) संप्रवर्तकों के नातेदार, सहयुक्त और मित्र				
(iii) निदेशक				
(iv) निदेशकों के नातेदार, सहयुक्त और मित्र				
(v) अन्तर्सम्बद्ध उपक्रम				
(vi) अन्य उपक्रम				
(vii) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक				
(viii) वित्तीय संस्थाएं				
(ix) अनिवासी (विदेशी कंपनी व्यष्टि)				
(x) भारतीय जनता				
योग				

(छ) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान उधार :

तह स्रोत जिससे निधि जुटाई गई	उधार जिसके अन्तर्गत लोक निक्षेप भी हैं	डिबेंचर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) संप्रवर्तक और निदेशक तथा उनके नातेदार, मित्र और सहयुक्त			
(ii) अन्तर्सम्बद्ध उपक्रम			
(iii) अन्य उपक्रम			
(iv) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक			
(v) वित्तीय संस्थाएं			
(vi) भारतीय जनता			
(vii) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)			
योग			

(ज) विद्यमान ऋण-साधारण अनुपात (कंपनी के संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

5. अधिनियम की धारा 21 के अधीन पहले से ही अनुमोदित विस्तार-स्कीम के ब्यौरे (सरकार द्वारा पारित आदेश की एक प्रति संलग्न की जाए)

6. अनुमोदित विस्तार-स्कीम में किए जाने वाले प्रस्तावित उपांतरण और उनके लिए कारण

7. परियोजना लागत :

व्यय के शीर्ष	पहले प्राक्कलित की गई लागत (रु० लाख में)	पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन (रु० लाख में)	वृद्धि/कमी की सीमा (रु० लाख में)	अन्तर के पूर्ण कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) भूमि				
(ख) भवन				
(ग) मशीनरी				
(i) आयातित				
(ii) देशी				
(घ) कामकाज पूंजी के लिए मार्जिन धन				
(ङ) अन्य शीर्ष (विनिर्दिष्ट किए जाएं)				
योग				

8. वित्त की स्कीम :

वित्त का स्रोत	रकम जो पहले जुटाई जानी थी (रु० लाख में)	रकम जो अब जुटाई जानी है (रु० लाख में)	वृद्धि/कमी की सीमा (रु० लाख में)	अन्तर के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) देश में ही निधियों को जुटाना (जो नकदी प्रवाह विवरण द्वारा समर्थित हों)				
(ख) नई साधारण पूंजी				
(ग) अधिमान-पूंजी				
(घ) डिबेंचर				
(ङ) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक				
(च) वित्तीय संस्थाएं				
(छ) विदेशी मुद्रा उधार				
(ज) केन्द्रीय सहायकी				
(झ) राज्य सहायकी				
(ञ) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)				
योग				

9. वित्त स्कीम में संप्रवर्तक का अभिदाय

अभिदायों की विशिष्टियां	वित्त की पूर्व स्कीम के अनुसार (रु० लाख में)	उपांतरित स्कीम के अनुसार (रु० लाख में)	वृद्धि/कमी की सीमा (रु० लाख में)	अन्तर के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) निम्नलिखित के लिए निदेशकों, उनके नातेदारों, मित्रों और सहयुक्तों तथा अन्तर्सम्बद्ध उपक्रमों द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम :				
(i) नई साधारण पूंजी				
(ii) अधिमान पूंजी				
(iii) डिबेंचर				
(iv) अप्रतिभूत उधार				

(ख) संयुक्त सेक्टर भागीदार यदि कोई हो, द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम

(ग) विदेशी सहयोगियों, यदि कोई हों, द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम

(घ) देश में ही निधियों को जुटाना [जैसा कि ऊपर मद सं० 8(क) में उल्लिखित है]

(ङ) अन्य संप्रवर्तक, यदि कोई हों, (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

योग

10. वित्त की उपांतरित स्कीम को कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् ऋण-साधारण अनुपात

(संपरीक्षकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

11. यह उपदर्शित करें कि क्या किसी मान्यताप्राप्त शेयरबाजार में साधारण शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है या सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है ।

12. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाए ।

स्थान : मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

सत्यापन

"मैं, क ख .... सत्यनिष्ठा से यह कथन करता हूं कि ऊपर मद 1 से 12 में जो कुछ कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर"

(3) प्ररूप 2 और प्ररूप 2क के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखे जाएंगे अर्थात् :—

"प्ररूप 2

(नियम 6 देखें)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 किसी नए उपक्रम/नए ह/भाग की स्थापना के लिए आवेदन* का प्ररूप

भाग "क"

आवेदन करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी के बारे में विशिष्टियां

1. आवेदक का नाम और पता

2. कृपया यह बताएं कि क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 10 के अधीन यथा अपेक्षित फीस का संदाय कर दिया गया है (बैंक का मांगदेय ड्राफ्ट या चालान की मूल प्रति संलग्न की जाए)

3. व्यापार जर्नल और समाचारपत्रों के नाम, जिनमें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 4क के अनुसार, साधारण सूचना प्रकाशित की गई है ।

*आवेदन की 12 प्रतियों का भेजा जाना अपेक्षित है ।

(प्रत्येक प्रकाशन की एक एक प्रति और प्रकाशन की तारीख की बाबत एक प्रमाणपत्र संलग्न किए जाएं)

4. उपक्रम के स्वामी की विधिक स्थिति उपदर्शित करें (क्या एकल स्वत्वधारिता समुत्थान भागीदारी फर्म/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/निगमित निकाय/अन्य व्यष्टि-संगम/न्यास है)

5. यदि उपक्रम का स्वामी एकल स्वत्वधारिता समुत्थान है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें

(क) स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) का/के नाम और पता (पते)

(ख) अन्य संगठन में ऊपर (क) के सामने दर्शित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिता, भागीदारी या निदेशक-पद की विशिष्टियां।

6. यदि आवेदक कोई भागीदार फर्म है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :

(क) भागीदारों के नाम और पते ।

(ख) अन्य संगठनों में ऊपर (क) के सामने दर्शित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां

7. यदि आवेदक निगमित निकाय है तो निम्नलिखित जानकारी दें :-

(क) निगमित निकाय का नाम और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ख) निगमित निकाय के स्वामित्व के उपक्रम के सभी एककों और प्रभागों के नाम और पते

(ग) निदेशकों के जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, प्रबंध/पूर्ण कालिक निदेशक और प्रबंधक यदि कोई हों, भी हैं, नाम और पते

(घ) अन्य संगठनों/निगमित निकायों में ऊपर (ग) के सामने दर्शित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां

(ङ) निगमित निकाय की प्राधिकृत, अभिदत्त और समादत्त पूंजी (साधारण और अधिमान दोनों) (पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति संलग्न की जाए)

(च) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान शेयर धारण पद्धति

शेयर धारक का नाम	साधारण पूंजी		अधिमान-पूंजी	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी की प्रतिशतता	धारित की संख्या	कुल पूंजी की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) संप्रवर्तक				
(ii) संप्रवर्तक के नातेदार और मित्र				
(iii) निदेशक				
(iv) निदेशकों के नातेदार और मित्र				

(1)	(2)	(3)	(4)
(v) सहयुक्त व्यक्ति			
(vi) अन्तर्सम्बद्ध उपक्रम			
(vii) अन्य उपक्रम			
(viii) वित्तीय संस्थानों से भिन्न बैंक			
(ix) वित्तीय ।			
(x) अनिवासी व्यष्टि)			
(xi) भारतीय जनता ।			
योग			

(छ) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान उधार

वह स्रोत जिससे निधि जुटाई गई है ।	उधार	डिबेंचर	योग
	जिनके अन्तर्गत लोक निक्षेप भी हैं		
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) संप्रवर्तक और निदेशक तथा उनके नातेदार, मित्र और सहयुक्त व्यक्ति			
(ii) अन्तर्सम्बद्ध उपक्रमों के स्वामी			
(iii) अन्य उपक्रमों के स्वामी			
(iv) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक			
(v) वित्तीय संस्थाएं ***			
(vi) भारतीय जनता			
(vii) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)			
योग			

(ज) विद्यमान ऋण-साधारण अनुपात (कंपनी के संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए ।)

8. यदि आवेदक पहले से ही किन्हीं माल के उत्पादन में लगा हुआ है तो प्रत्येक वस्तु की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां दें :

(क) वस्तु का नाम

(ख) अनुज्ञप्त क्षमता

(ग) संस्थापित क्षमता

(घ) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार वास्तविक उत्पादन

9. यदि आवेदक, किन्हीं माल के भंडारकरण, प्रदाय वितरण, विपणन या नियंत्रण में लगा हुआ है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) प्रत्येक माल का नाम

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार व्यापारावर्त

10. यदि आवेदक सेवा (सेवाएं) करने में लगा हुआ है तो प्रत्येक सेवा की बाबत निम्नलिखित जानकारी दे :

(क) सेवा की विशिष्टियां

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान सामान्य परिमाण के अनुसार अभिव्यक्त सेवा की मात्रा और प्रत्येक सेवा से प्राप्त आय और व्यापारावर्त

भाग "ख"

प्रस्तावित नए उपक्रम/एकक/प्रभाग के बारे में विशिष्टियां

11. प्रस्तावित नए उपक्रम/एकक/प्रभाग का नाम और पता

12. ऐसे प्रत्येक उपक्रम की बाबत निम्नलिखित जानकारी दें जिसके साथ प्रस्तावित नाम उपक्रम अन्तर्सम्बद्ध होगा या जिससे प्रस्तावित नया एकक या प्रभाग जोड़ा जाएगा :

(क) उपक्रम का नाम और पता

(ख) अधिनियम की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की संख्यांक और तारीख

(ग) यदि उपक्रम रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो निम्नलिखित उपदर्शित करें :

(i) वह तारीख जिसको वह रजिस्टर करने योग्य हो गया; और

(ii) सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए जारी की गई व्यतिक्रम सूचना, यदि कोई हो, का संख्यांक और तारीख

13. क्या ऊपर मद 12 में निर्दिष्ट कोई भी उपक्रम प्रधान उपक्रम है ? यदि हां, तो, उपक्रम और उस (उन) माल/सेवा (सेवाओं) का/(के) जिसके (जिनके) संबंध में वह प्रधान है, नाम दें ।

14. प्रस्तावित स्थान, यह उपदर्शित करते हुए कि क्या वह, "उद्योग रहित" जिले या अन्यथा किसी पिछड़े जिले के अंतर्गत आता है, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

15. यदि प्रस्ताव माल/वस्तु (वस्तुओं) से संबंधित है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) माल/वस्तु (वस्तुओं) का/के नाम

(ख) प्रस्तावित अनुज्ञप्त क्षमता

(ग) प्राक्कलित वार्षिक उत्पादन, मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार

(घ) निम्नलिखित प्ररूप में, प्रत्येक माल/वस्तु के लिए पृथक-पृथक वैसे ही माल/वैसी ही वस्तुओं का अखिल भारतीय उत्पादन में शेयर की प्रतिशतता

*** प्रत्येक वित्तीय संस्था के शेयर धारण एक पृथक पन्ने पर उपदर्शित करें ।

**** प्रत्येक वित्तीय संस्था से लिए गए उधारों को एक पृथक पन्ने पर उपदर्शित करें ।

उपक्रम का विद्यमान कुल वार्षिक उत्पादन	संपूर्ण देश मे विद्यमान कुल उत्पादन	स्तंभ (2) में दिए गए आंकड़ो का/ के स्रोत	प्रस्तावित विस्तार के पश्चात् कुल उत्पादन	(2) के प्रतिशत के रूप में (1)
(1)	(2).	(3)	(4)	(5)

16. यदि प्रस्ताव उत्पादन से संबंधित न होकर किसी (किन्हीं) माल या वस्तु (वस्तुओं) के भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण से, या किसी (किन्हीं) सेवा (सेवाओं) के प्रबंध से है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) माल/वस्तु (वस्तुओं) का/के नाम या सेवा (सेवाओं) की विशिष्टियां

(ख) यथास्थिति, मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार प्राक्कलित वार्षिक उत्पादन, या प्रबंध की गई सेवाओं के मूल्य के अनुसार व्यापारावर्त

(ग) यथास्थिति, प्रत्येक माल/वस्तु या सेवा के लिए पृथक-पृथक अखिल भारतीय आधार पर शेयर की प्रतिशतता :

उपक्रम द्वारा, यथास्थिति, भंडार में रखे जाएं या प्रदाय किए गए या वितरित या विपणन किए गए या नियंत्रित या प्रबंध किए गए माल या सेवाओं का विद्यमान कुल वार्षिक मूल्य	संपूर्ण देश में स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं का मूल्य (प्रबंध की गई सेवा /सेवाओं) की दशा में व्यापारावर्त	उपक्रम के प्रस्तावित विस्तार के पश्चात स्तंभ 1 में निर्दिष्ट माल या सेवाओं का मूल्य	(2) के प्रतिशत के रूप में (1)	स्तंभ (2) में दिए गए आंकड़ो का स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

17. यदि ऊपर मद 12 में निर्दिष्ट कोई भी उपक्रम वैसे ही माल/वैसी ही वस्तु (वस्तुओं) के उत्पादन, या भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण में लगा हुआ है या वैसी ही सेवा (सेवाओं) का प्रबंध करने में लगा हुआ है जो सेवा प्रस्ताव की विषय वस्तु है, तो निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी के साथ-साथ उसकी पूरी विशिष्टियां दें :

(क) अनुज्ञप्त क्षमता

(ख) संस्थापित क्षमता

(ग) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार वार्षिक उत्पादन/व्यापारावर्त

(घ) अखिल भारतीय आधार पर शेयर की प्रतिशतता [उसी रूप में दिया जाए जैसा ऐसे प्रत्येक उपक्रम की बाबत स्तंभ 16(ग) में है]

18. संपूर्ण देश में मांग और पूर्ति की स्थिति :

विद्यमान मांग	अगले 5 से 10 वर्षों या चालू और अगली पंचवर्षीय योजना अवधि (केवल समापन वर्षों) में बढ़ी हुई मांग	पहले से ही अनुमानित क्षमता	वास्तव में संस्थापित क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)

पिछले तीन वर्षों में वास्तविक उत्पादन/व्यापारावर्त वर्षवार	मांग और पूर्ति के बीच अंतर (1) घटा (3) (1) घटा (5)	स्तंभ (1), (2), (3), (4) और (5) में दी गई जानकारी का/के स्रोत
(5)	(6)	(7) (8)

19. प्रस्तावित माल/वस्तुओं की प्रकृति

(क) क्या समय-समय पर यथा-संशोधित तारीख 2-2-1973 की सरकार की औद्योगिक नीति कथन के परिशिष्ट-1 में सम्मिलित है।

(ख) क्या लघु उद्योग सेक्टर के लिए आरक्षित है।

(ग) लघु/मध्यम उद्योग सेक्टर या पब्लिक सेक्टर पर संभाव्य प्रभाव।

20. प्रौद्योगिकी :

(क) क्या प्रस्तावित माल के विनिर्माण या प्रस्तावित सेवा में उन्नत प्रौद्योगिकी अंतर्वलित है ?

(ख) क्या प्रौद्योगिकी, आवेदक द्वारा या किसी अन्य स्वदेशी अनुसंधान और विकास स्थापन द्वारा विकसित की गई है ?

(ग) विदेशी सहयोग यदि कोई हो, की विशिष्टियां।

21. प्रस्तावित माल/सेवा (सेवाओं) की निर्यात क्षमता बताएं और क्या आवेदक कोई निर्यात बाध्यता स्वीकार करने के लिए तैयार है।

22. क्या प्रस्ताव में अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग अंतर्वलित है ? यदि हां तो, ब्यौरे दें।

21. क्या प्रस्ताव में प्रदूषण की दृष्टि से कोई बात है ? यदि हां तो, उन प्रदूषण निवारक उपायों का उल्लेख करें जिन्हें करने का प्रस्ताव है।

24. किए जाने वाले विनिधान का ब्यौरा देते हुए, प्राक्कलित परियोजना लागत

(क) भूमि रु० लाख में

(ख) भवन

(ग) मशीनरी

(1) आयातित

(2) देशी

(घ) काम चालू पूंजी के लिए मार्जिन धन.....

(ङ) अन्य शीर्ष (विनिर्दिष्ट किए जाएं) .....

25 वित्त की प्रस्तावित स्कीम जिस में निम्नलिखित से जुटाई जाने वाली रकम स्पष्टतः उपदर्शित की गई हो

रु. लाख में

(क) साधारण पूंजी

(ख) अधिमान-पूंजी

(ग) डिबेंचर

(घ) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक

(ङ) वित्तीय संस्थाएं (रुपए उधार)

(च) विदेशी मुद्रा उधार

(छ) केन्द्रीय सहायकी

(ज) राज्य सहायकी

(झ) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

26. वित्त की प्रस्तावित स्कीम में संप्रवर्तकों का अभिदाय अर्थात् :—

(क) निम्नलिखित के लिए आवेदक अन्तर्सम्बद्ध उपक्रमों, उनके निदेशकों और नातेदारों, मित्रों और निवेशकों से सहयुक्त व्यक्ति द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम :

(1) साधारण पूंजी

(2) अधिमान-पूंजी

(3) डिबेंचर

(4) अप्रतिभूत उधार

(ख) निम्नलिखित के लिए संयुक्त वेंचर भागीदार यदि कोई हो, द्वारा, अभिदाय की जाने वाली रकम :

(1) साधारण पूंजी

(2) अधिमान पूंजी/डिबेंचर/उधार

(ग) निम्नलिखित के लिए विदेशी सहयोगियों, यदि कोई हो, द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम :

(1) साधारण पूंजी

(2) अधिमान पूंजी/डिबेंचर/उधार

(घ) अन्य संप्रवर्तकों यदि कोई हो, अभिदाय की जाने वाली रकम

(विनिर्दिष्ट की जाएं)

27. प्रस्तावित वित्त की स्कीम को कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् ऋण-साधारण अनुपात (संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित, ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

28. क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 और/या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पहले वैसा ही प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो प्रस्ताव की विशिष्टियां, सरकार द्वारा किए गया विनिश्चय और संसूचना का संदर्भांक तथा तारीख जिसके द्वारा विनिश्चय भेजा गया था, उपदर्शित किए जाएं ।

29. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी गई है

स्थान.....

तारीख..... मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं,.....सत्यनिष्ठा से, कथन करता हूं कि ऊपर मद 1 से 30 में जो कुछ कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 2क

[नियम 4क (1) देखें]

एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने से पूर्व सर्वसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना का प्ररूप

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि.....

.....

(यहां आवेदन करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी का नाम उल्लिखित करें) एक नए उपक्रम/एकक/प्रभाग की स्थापना के अनुमोदन के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन, केन्द्रीय सरकार के कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को, आवेदन करने का प्रस्ताव करता है ।

प्रस्ताव की संक्षिप्त विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

1. आवेदक का नाम और पता

2. आवेदक के संगठन की पूंजी-संरचना

3. निदेशकों के जिसके अंतर्गत प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक यदि कोई हो, भी है, नाम उपदर्शित करते हुए आवेदक के संगठन की प्रबंध-संरचना ।

4. यह उपदर्शित करें कि क्या प्रस्ताव, किसी नए उपक्रम या किसी नए एकक/प्रभाग की स्थापना से संबंधित है ।

5. नए उपक्रम/एकक/प्रभाग का स्थान

6. प्रस्ताव वाले उपक्रम की पूंजी-संरचना

7. यदि, प्रस्ताव का संबंध किन्हीं माल/वस्तुओं के उत्पादन, भंडारकरण प्रदाय वितरण, विपणन या नियंत्रण से है तो निम्नलिखित उपदर्शित करें;

(1) माल/वस्तुओं के नाम

(2) प्रस्तावित अनुज्ञप्त क्षमता

(3) प्राक्कलित वार्षिक व्यापारावर्त

8. यदि प्रस्ताव का संबंध किसी सेवा के प्रबंध से है तो मूल्य, आय, व्यापारावर्त, आदि जैसे सामान्य अध्युपायों के रूप में क्रियाकलाप की मात्रा बताएं ।

9. परियोजना की लागत

10. प्रत्येक स्रोत से जुटाई जाने वाली रकम उपदर्शित करते हुए वित्त की स्कीम ।

इस विषय में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर, प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार सूचित करते हुए और उसमें अपने हित का प्रकार उपदर्शित करते हुए, सचिव, कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को चार प्रतियों में अभ्यावेदन कर सकेगा ।

तारीख 198

हस्ताक्षरित

(उपक्रम के मुख्य अधिकारी सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या किसी अधिकारी का नाम और पदनाम)

(4) प्रपत्र 2 क के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

प्रपत्र 2 ख

(नियम 6क देखें)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

. . . . . .

किसी नए उपक्रम/एकक/प्रभाग के स्थापन से संबंधित वित्त की स्कीम के उपांतरण के लिए आवेदन* का प्रारूप

. . . . . .

1. आवेदक का नाम और पता

2. कृपया बताएं कि क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 10 के अधीन यथा अपेक्षित फीस का संदाय कर दिया गया है (बैंक का ड्राफ्ट या चालान की मूल प्रति संलग्न की जाए)

3. नए उपक्रम/एकक/प्रभाग का नाम और पता

4. उपक्रम के स्वामी की विधिक प्रास्थिति उपदर्शित करें (क्या एकल स्वत्वधारिता समुत्थान/ भागीदारी फर्म/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब /निगमित निकाय/अन्य व्यष्टि–संगम या/न्यास है) ।

5. यदि आवेदक स्वत्वधारिता समुत्थान या भागीदारी फर्म है तो, उसकी पूंजी-संरचना के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) स्वत्वधारियों/भागीदारों, उनके नातेदारों, मित्रों और सहयुक्तों द्वारा किया गया विनिधान;

(ख) विदेशी भागीदारी यदि कोई हो, और ऐसी भागीदारी के निबन्धन तथा शर्तें; और

(ग) उधार, बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्रोतों से जुटाए गए उधारों का ब्यौरा देते हुए ।

6. यदि आवेदक निगमित निकाय है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) निगमित निकाय का नाम और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ख) निगमित निकाय के स्वामित्वाधीन सभी एककों और प्रभागों के नाम और पते

(ग) निदेशकों के, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक यदि कोई हो, भी हैं नाम और पते

(घ) अन्य संगठनों/निगमित निकाय में ऊपर (ग) के सामने दर्शित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारित भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां

(ङ) निगमित निकाय की प्राधिकृत, अभिदत्त और समादत्त पूंजी (साधारण और अधिमान दोनों) । (पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति संलग्न की जाए)

(च) निम्नलिखित प्रारूप में विद्यमान शेयर धारण पद्धति :

शेयर धारक का नाम	साधारण पूंजी		अधिमान-पूंजी	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी की प्रतिशतता	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
(1) संप्रवर्तक				
(2) संप्रवर्तकों के नातेदार, सहयुक्त और मित्र				
(3) निदेशक				
(4) निदेशकों के नातेदार, सहयुक्त और मित्र				
(5) अन्तर्संबद्ध उपक्रम				
(6) अन्य उपक्रम				
(7) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक				
(8) वित्तीय संस्थाएं				
(9) अनिवासी (विदेशी कंपनी/व्यष्टि)				
(10) भारतीय जनता				
योग				

(छ) निम्नलिखित प्रारूप में विद्यमान उधार :

वह स्रोत जिससे निधि जुटाई गई	उधार जिनके अन्तर्गत लोक निक्षेप भी हैं	डिबेंचर	योग
1	2	3	4
(1) संप्रवर्तक और निदेशक तथा उनके नातेदार, मित्र और सहयुक्त			
(2) अन्तर्संबद्ध उपक्रम			
(3) अन्य उपक्रम			
(4) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक			
(5) वित्तीय संस्थाएं			
(6) भारतीय जनता			
(7) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)			
योग			

*आवेदन की पांच प्रतियों का भेजा जाना अपेक्षित है ।

(ज) विद्यमान ऋण-साधारण अनुपात (कंपनी के संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण पूंजी अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

6. ऐसे नए उपक्रम/एकक/प्रभाग, के बारे में ब्यौरे, जिसके स्थापन को अधिनियम की धारा 22 के अधीन पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है (सरकार द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न की जाए)

7. परियोजना लागत :

व्यय का शीर्ष	पहले प्राक्कलित की गई लागत	पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन	वृद्धि/कमी सीमा	अन्तर के कारण
	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)	
1	2	3	4	5
(क) भूमि				
(ख) भवन				
(ग) मशीनरी				
(1) आयातित				
(2) देशी				
(घ) कामकाज पूंजी के लिए मार्जिन धन				
(ङ) अन्य शीर्ष (विनिर्दिष्ट किए जाएं)				
योग				

8. वित्त की स्कीम :

वित्त का स्रोत	रकम जो पहले जुटाई जानी थी (रु. लाख में)	रकम जो अब जुटाई जानी है (रु. लाख में)	वृद्धि/कमी की सीमा (रु. लाख में)	अन्तर के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) साधारण पूंजी				
(ख) अधिमान-पूंजी				
(ग) डिबेंचर				
(घ) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक				
(ङ) वित्तीय संस्थाएं				
(च) विदेशी मुद्रा उधार				
(छ) केन्द्रीय सहायकी				
(ज) राज्य सहायकी				
(झ) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)				

9. वित्त की स्कीम में संप्रवर्तक का अभिदाय :

अभिदाय की विशिष्टियां	वित्त की पूर्व स्कीम के अनुसार (रु. लाख में)	उपांतरित स्कीम के अनुसार (रु. लाख में)	वृद्धि/कमी की सीमा (रु. लाख में)	अन्तर के कारण
1	2	3	4	5
(क) निम्नलिखित के लिए आवेदक, अन्तर्संबद्ध उपक्रमों, उनके निदेशकों और नातेदारों, मित्रों और निदेशकों के सहयुक्तों द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम :				
(1) साधारण पूंजी				
(2) अधिमान पूंजी				
(3) डिबेंचर				
(4) अप्रतिभूत उधार				
(ख) संयुक्त सेक्टर भागीदार यदि कोई हो, द्वारा निम्नलिखित के लिए अभिदाय की जाने वाली रकम				
(1) साधारण पूंजी				
(2) अधिमान-पूंजी/डिबेंचर/उधार				
(ग) विदेशी सहयोगियों, यदि कोई हो, द्वारा निम्नलिखित के लिए अभिदाय की जाने वाली रकम				
(1) साधारण पूंजी				
(2) अधिमान-पूंजी/डिबेंचर/उधार				
(घ) अन्य संप्रवर्तक यदि कोई हों, (विनिर्दिष्ट किए जाएं)				
योग				

10. वित्त की उपांतरित स्कीम को कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् ऋण-साधारण अनुपात

(संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना के दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

11. यह उपदर्शित करें कि क्या किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में साधारण शेयरों को सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है ।

12. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाए

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

सत्यापन

मैं, क ख .... सत्यनिष्ठा से यह कथन करता हूं कि ऊपर मद 1 से 12 में जो कुछ कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

मुख्य अधिकारी के

हस्ताक्षर

(5) प्ररूप 3, 3क, 4 और 4क के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखे जाएंगे अर्थात्:—

"प्ररूप 3

[नियम 7(1) देखें]

चालान सं० ....

बैंक ड्राफ्ट सं० ....

तारीख ....

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23(2) के अनुसरण में विलयन/समामेलन के लिए केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाले आवेदन का प्ररूप।

1. आवेदक का नाम और पता (विलयन/समामेलन की प्रस्तावित स्कीम का पक्षकार) जिसको अधिनियम के अध्याय 3 का भाग क लागू होता है/लागू होगा।
2. विलयन/समामेलन के प्रस्तावित स्कीम के पूर्ण ब्यौरे (स्कीम की एक प्रति संलग्न करें)।
3. विलीन/समामेलित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रमों की पूंजी संरचना/पूंजी विनिधान के ब्यौरे
4. समामेलित/विलिन किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रमों के प्र का रूप।
5. यदि प्रस्ताव में दो या अधिक निगमित निकायों का विलयन या समामेलन अन्तर्वलित है तो कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें:—
   (i) प्रत्येक निगमित निकाय के निदेशकों/प्रबंधकों के नाम और पते,
   (ii) प्रत्येक निगमित निकाय की 5 प्रतिशत या अधिक की साधारण शेयर पूंजी धारण करने वाले शेयर धारकों के नाम और पते,
   (iii) प्रत्येक निगमित निकाय की विद्यमान और समामेलन/विलयन के पश्चात्,

   समामेलित कंपनी की शेयर धारण पद्धति जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है।

   (क) वित्तीय संस्थाएं
   [जैसा कि अधिनियम की धारा 2(क) में परिभाषित है]
   (ख) अनिवासी
   (ग) निदेशक और उसके नातेदार
   (घ) अन्तर्सम्बद्ध निगमित निकाय
   (ङ) भारतीय जनता
6. सुसंगत अवधि के दौरान उपक्रमों द्वारा उत्पादित प्रदाय किए गए वितरित या नियंत्रित माल या की गई सेवाओं का वर्णन।
7. सुसंगत अवधि के दौरान प्रत्येक उत्पाद की बाबत संबंधित उपक्रमों का शेयर 1 (कृपया प्रत्येक उपक्रम की बाबत पृथक पृथक अनुज्ञप्त-क्षमता और उत्पादन व्यापारावर्त के बारे में ब्यौरे दें।)
8. एकल स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के नाम और पते सहित अन्तःसम्बद्ध संबंधित उपक्रमों से सभी उपक्रमों का/के नाम और पते/पता ऐसे प्रत्येक उपक्रम की अनुज्ञप्त/संस्थापित क्षमता उत्पादन, प्रदाय वितरण या नियंत्रण और/या की गई सेवाओं के अनुसार प्रत्येक उत्पाद की बाबत पूंजी संरचना व्यापारावर्त और शेयर।
9. कृपया ऐसे प्रत्येक उपक्रम की बाबत ऊपर मद सं० 8 के रूप में पूर्ण विशिष्टियां दें जिसका अन्तर्सम्बद्ध उपक्रम के साथ हो जाएगा जिसे विलयन/समामेलन की प्रस्तावित स्कीम द्वारा अस्तित्व में लाया जाएगा।
10. प्रस्तावित विलयन/समामेलन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला/किए जाने वाले उद्देश्य। दिए गए कारण विस्तृत होने चाहिए और उसके साथ समर्थन करने वाला साक्ष्य होना चाहिए।
11. यदि प्रस्तावित विलयन/समामेलन से किसी ऐसे उत्पाद के जिसका उत्पाद प्रदाय वितरण या अन्यथा नियंत्रण किया जाए या की गई सेवा के प्रति निर्देश से बाजार संरचना में कोई परिवर्तन आने की संभावना है तो उसके ब्यौरे दें।
12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहता है।
13. कृपया निम्नलिखित संलग्न करें:
   (i) संबंधित कंपनियों के अंतिम तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक एक प्रति।
   (ii) ऐसे उपक्रमों के जिनका अन्तर्सम्बद्ध होगा स्वामियों के अंतिम तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक एक प्रति।
   (iii) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार 1970 के नियम 4क के अनुसरण में समाचार पत्रों/जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक सार्वजनिक सूचना की मूल कतरन की अधिप्रमाणित प्रति।
   (iv) संबंधित कंपनियों के प्रत्येक ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की एक एक प्रति।
   (v) संबंधित कंपनियों के निदेशक बोर्ड/शेयर धारकों द्वारा पारित सुसंगत संकल्पों की प्रमाणित प्रतियां।
   (vi) प्रस्तावित विनिमय अनुपात निकालने का आधार और मूल्यांकन रिपोर्ट यदि कोई हो की प्रमाणित प्रति (छः प्रतियां)।
   (vii) विहित आवेदन फीस के संदाय के लिए चालान/मांगदेय ड्राफ्ट।

स्थान ——————   मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख ——————

सत्यापन

मैं क ख ————— सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं कि ऊपर 1 से 13 तक में जो कुछ कथित है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 3-क

[नियम 4क (1) देखें]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने के पूर्व सर्वसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना,

का प्ररूप

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि ————————— (यहां कंपनी का नाम उल्लिखित करें)

---------- (यहां उन कंपनियों का/के नाम दें जिसके साथ विलयन/समामेलन का प्रस्ताव है) के साथ विलयन/समामेलन की अपनी स्कीम के अनुमोदन के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है ।

स्कीम की संक्षिप्त विशिष्टियां निम्नानुसार है :—

(i) आवेदक का नाम और पता ।

(ii) विलीन/समामेलित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रम (उपक्रमों) की प्रबंध संरचना ।

(iii) विलीन/समामेलित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रम (उपक्रमों) की पूंजी संरचना ।

(iv) विलीन/समामेलित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रम (उपक्रमों) का वर्तमान क्रियाकलाप ।

(v) प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित उद्देश्यों को उपदर्शित करते हुए विलयन/समामेलन की प्रस्तावित स्कीम की संक्षिप्त विशिष्टियां ।

(vi) विनिमय अनुपात/समामेलित /विलीन उपक्रमों के शेयरधारकों/लेनदारों के लिए प्रस्तावित प्रतिफल

2. इस विषय में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के भीतर प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार सूचित करते हुए और उसमें अपने हित का प्रकार उपदर्शित करते हुए सचिव, कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली को अभ्यावेदन (चार प्रतियों में) कर सकेगा ।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख ----------

प्ररूप 4

[नियम 7 (2) देखें]

चालान सं०.....

या

बैंक ड्राफ्ट सं०

तारीख.....

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23(4) के अनुसरण में किसी उपक्रम के सम्पूर्ण या भाग को ग्रहण करने के प्रस्तावों से संबंधित केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाले आवेदन का प्ररूप

---

1. अन्य उपक्रम या उसके भाग को ग्रहण करने का प्रस्ताव करने वाले आवेदक का नाम और पता :

2. उपक्रम का रजिस्टीकरण संख्यांक यदि कोई हो,

3. आवेदक के उपक्रम के अन्तर्संबद्ध प्रत्येक उपक्रम का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक तथा तारीख

4. कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें:—

(i) यदि उपक्रम निगमित निकाय के स्वामित्व में है तो—

(क) निदेशकों के जिसके अंतर्गत प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निदेशक और प्रबन्धक यदि कोई हो, भी है, नाम और पते ,

(ख) निदेशकों द्वारा अन्य उपक्रमों में धारित स्वत्वधारिताओं भागीदारियों और निदेशक पदों के पूरे ब्यौरे, उपक्रमों के बीच अन्तर्संम्बधन यदि कोई हो, को बताया जाना चाहिए ।

(ग) वित्तीय संस्थाओं, [जैसा अधिनियम की धारा 2 (घक) में परिभाषित है] अधिवासियों अन्तर्संम्बद्ध निगमित निकायों और भारतीय जनता द्वारा धारित शेयरों के ब्यौरे देते हुए, निगमित निकाय की पूंजी संरचना/प्रस्तावित पूंजी संरचना,

(घ) वित्तीय संस्थाओं [जैसा अधिनियम की धारा 2 (घक) में परिभाषित है] विदेशी सहयोगियों, यदि कोई हों, और अन्तर्संम्बद्ध उपक्रमों को जारी किए गए डिबेंचरों या उनसे लिए गए उधारों के ब्यौरे देते हुए डिबेंचर और उधार, यदि कोई हो, प्रतिभूति यदि कोई हो, की प्रकृति को उपदर्शित करें ।

(ङ) ऐसे शेयरधारकों के नाम और पते जिनका साधारण शेयर पूंजी 5 प्रतिशत या अधिक है ।

(च) प्रत्येक अन्तर्संम्बद्ध उपक्रम के कारबार, क्रियाकलाप की प्रकृति बताते हुए ऐसे सभी उपक्रमों के नाम और पते,

(ii) यदि उपक्रम किसी भागीदारी फर्म के स्वामित्व में है तो—

(क) भागीदारों के नाम और उनके पते

(ख) ऊपर उपमद (i) में (ख) से (च) तक के पूरे ब्यौरे जहां तक वे लागू हों ।

(iii) किसी अन्य मामले में,—

(क) स्वामियों के नाम और उनके पते

(ख) किसी अंतर्संबद्ध उपक्रम में और किसी अन्य उपक्रम में ऊपर (क) के सामने वर्णित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिताओं, भागीदारियों या निदेशक पदों के पूरे ब्यौरे ।

(ग) उपक्रम की पूंजी संरचना/प्रस्तावित पूंजी संरचना ।

(घ) सभी अन्तर्संबद्ध उपक्रमों के स्वामी की पूंजी संरचना ।

(ङ) अन्य उपक्रम की पूंजी संरचना (जिसके अंतर्गत डिबेंचर और उधार भी है) जिसमें स्वामियों ने विनिधान किया है और प्रत्येक मामले में विनिधान की सीमा ।

(च) उपक्रम में और अन्तर्संम्बद्ध उपक्रमों में विदेशी भागीदारी, यदि कोई हो, के पूरे ब्यौरे जिसमें विदेशी भागीदारों के नाम और पते और ऐसी भागीदारी के निबन्धनों और शर्तों को उपदर्शित किया गया हो ।

(छ) उधार के पूरे ब्यौरे जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधारों को और साथ ही उनके नाम और ली गई रकम को विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित किया गया हो ।

5. आवेदक के कारबार क्षेत्र/उपक्रम द्वारा विनिर्णीत, प्रदाय किए गए वितरित या अन्यथा नियंत्रित माल का या की गई सेवाओं का वर्णन ठीक ठीक दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक माल और सेवाओं

का यथास्थिति, मूल्य, लागत, कीमत, माला या क्षमता सम्मिलित है ।

6. कृपया आवेदक के उपक्रम से अन्तर्सम्बद्ध प्रत्येक उपक्रम द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के स्पष्टीकरण 6 में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि के दौरान उत्पादित प्रदाय किए गए वितरित या अन्यथा नियंत्रित उन्हीं माल या वैसे ही माल की, जो उत्पादन के विभिन्न रूप में है, यथास्थिति माला और/या मूल्य तथा की गई उन्हीं या वैसी ही सेवाओं का मूल्य उपदर्शित करें ।

7. चालू कलेण्डर वर्ष के दौरान उत्पादित, प्रदाय, वितरित या नियंत्रित किए जाने वाले माल की प्राक्कलित माला और मूल्य तथा की जाने वाली सेवाओं का मूल्य उपदर्शित करें।

8. उस उपक्रम का नाम और पता जिसका संपूर्ण या भाग ग्रहण करने का प्रस्ताव है । यदि उपक्रम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो कृपया उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक उपदर्शित करें ।

9. कृपया/प्रस्तावित ग्रहण के पूरे ब्यौरे दें, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हो :

(क) यदि किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों को अर्जित करने का प्रस्ताव है तो अन्तर्वलित शेयरों के, जिसके अंतर्गत वह मतदान शक्ति जो कुल मतदान शक्ति में ऐसे शेयरों का है, मूल्यांकन का ढंग, अन्य निगमित निकाय या निगमित निकाय के शेयर धारकों को प्रस्ताव किस प्रकार किया गया, ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जो अपने शेयर धारण (होल्डिंग) नकद में या आवेदक के शेयरों के विनिमय में विक्रय करने के लिए सहमत हो गए हैं, भी हैं, ब्यौरे । यदि प्रस्ताव अन्य निगमित निकाय के सभी शेयरधारकों को नहीं किया गया तो उसके कारण स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें ।

(ख) यदि किसी उपक्रम का संपूर्ण या भाग क्रय करने का प्रस्ताव है तो प्रस्तावित क्रय कीमत ऊपर लिए गए मूल्यांकन के ढंग सहित वह आधार जिस पर यह निकाली गई है ।

(ग) यदि यह बन्धक, पट्टा या अनुज्ञप्ति के रूप में या किसी करार या अन्य व्यवस्था के अधीन है तो, उसके ब्यौरे ।

10. अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के स्पष्टीकरण 6 में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि के दौरान उत्पादित प्रदाय किए गए, वितरित या अन्यथा नियंत्रित माल की प्रकृति या की गई सेवाओं की प्रकृति उपदर्शित करते हुए उस उपक्रम के कारबार क्षेत्र जिसका अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है, स्वत्वधारियों/भागीदारों/निदेशकों के नाम और उनके पते और उधारों सहित यथास्थिति, उपक्रम या उसके स्वामी की पूंजी संरचना ।

11. कृपया उस उपक्रम द्वारा, जिसका अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है, उत्पादित प्रदाय किए गए/वितरित या नियंत्रित माल या की गई सेवाओं की यथास्थिति माला और /या मूल्य उपदर्शित करें ।

12. उस उपक्रमों के कारबार क्षेत्र जो प्रस्तावित ग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आएगा या जिसके अस्तित्व में आने की संभावना है । कृपया निम्नलिखित ब्योरे दें ।

क्रम	माल का वर्णन सेवाओं की प्रवृत्ति	आवेदक उपक्रम की वर्तमान वार्षिक अनुज्ञप्त/संस्थापित क्षमता उत्पादन/ सेवाओं का मूल्य	परिणामिक उपक्रम की प्राक्कलित वार्षिक अनुज्ञप्ति संस्थापन क्षमता/ उत्पादन सेवाओं का मूल्य	स्तम्भ 3 और 4 के अनुसार प्राक्कलित बाजार शेयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

13. (क) वित्त स्कीम—कृपया प्रस्तावित ग्रहण के लिए वित्त स्कीम के संबंध में प्राक्कलित पूंजी परिव्यय उपदर्शित करते हुए, पूरे ब्यौरे दें ।

(ख) वित्त स्रोत : (i) यदि ग्रहण को देशी स्रोतों से वित्त पोषण करने का प्रस्ताव है तो, यह ठीक ठीक उपदर्शित करें कि किसी रीति से निधियां जुटाई जायेंगी ।

(ii) यदि उधार प्राप्त करने का प्रस्ताव है तो कृपया ब्यौरेवार स्रोत निबंधन और शर्तें ब्याज दर और प्रति संदाय के निबन्धन उपवर्णित करें ।

(iii) यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार लेने का इरादा है तो कृपया उधार दाता संस्था का अपने नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों को प्रबन्ध में नियुक्त करने और /या उधार या उसके किसी भाग की साधारण शेयर पूंजी में संपरिवर्तित करने का विकल्प, यदि कोई हो सहित उसके निबंधन और शर्तें बताएं ।

(iv) कृपया अन्तर्वलित विदेशी मुद्रा के पूरे ब्योरे दें । व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम उपदर्शित करें ।

(v) (क) उस लेखा वर्ष के जो उस कलैण्डर वर्ष में जिसमें आवेदन किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान समाप्त होता है, अन्तिम विनिवित्तीय और नकदी स्थिति को दर्शाते हुए एक पृथक विवरण संलग्न करें ।

(ख) यदि नई पूंजी जारी करने का प्रस्ताव है तो अनिवासियों और वित्तीय संस्थाओं को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों को उपदर्शित करते हुए इसके पूरे ब्योरे दें ।

(ग) यदि प्रस्ताव में शेयरों का विनिमय अंतर्वलित है तो, यह आधार उपदर्शित करें जिस पर प्रस्तावित विनिमय अनुपात निकाला गया है ।

14. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहे ।

15. कृपया निम्नलिखित भेजें :

(i) आवेदक और उस उपक्रम के जिसका ग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है, वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति ।

(ii) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 4क के अनुसरण में प्रकाशित प्रत्येक लोक सूचना की मूल फलरम की अधिप्रमाणित प्रति ।

(iii) संबंधित उपक्रमों के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की एक-एक प्रति ।

(iv) संबंधित उपक्रमों के निदेशक बोर्ड/शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प (संकल्पों) प्रमाणित प्रतियां ।

(v) विहित आवेदन फीस के संदाय के लिए चालान/मांगपत्र ड्राफ्ट

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, क, ख सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं कि ऊपर मद 1 से 15 तक में जो कुछ कथित है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 4-क

[नियम 4क(1) देखिए]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने से पूर्व सर्वसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना का प्ररूप।

सूचना

1. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि.....

(यहां आवेदक का नाम उल्लिखित करें)

.....

(यहां ग्रहण किए जाने वाले उपक्रम का नाम उल्लिखित करें)

संपूर्ण या भाग का ग्रहण करने के अनुमोदन के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करने का प्रस्ताव करता है, प्रस्ताव की संक्षिप्त विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

(i) आवेदक का नाम और पता

(ii) उस उपक्रम का नाम और पता जिसके संपूर्ण या भाग का ग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है, और ग्रहण करने की रीति, अर्थात्, शेयरों का अर्जन, नियंत्रण या प्रबन्ध के अर्जन द्वारा, चाहे उपक्रम के स्वामित्व के अर्जन द्वारा हो या किसी बन्धक पट्टा या अनुज्ञप्ति के अधीन हो या किसी करार या अन्य व्यवस्था के अधीन हो।

(iii) आवेदक की प्रबन्ध संरचना

(iv) निम्नलिखित की पूंजी संरचना—

(क) आवेदक की

(ख) उस उपक्रम की जिसका ग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है,

(v) उस उपक्रम का/के कारबार क्षेत्र जो प्रस्तावित ग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आएगा या जिसके अस्तित्व में आने की संभावना है।

(vi) ग्रहण के लिए प्रतिफल

(vii) प्रस्तावित ग्रहण के लिए वित्त के स्रोत (स्रोतों) को उपदर्शित करते हुए वित्त की स्कीम।

2. इस विषय में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के भीतर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार सूचित करते हुए और उसमें अपने हित का प्रकार उपदर्शित करते हुए सचिव, कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली को अभ्यावेदन कर सकेगा।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख..... 1984

(6) प्ररूप 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 6

(नियम 9 देखें)

चालान संख्या.....

बैंक ड्राफ्ट सं०.....

तारीख.....19

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए

आवेदन का प्ररूप

भाग 'क'

साधारण

1. उपक्रम (उपक्रमों) के स्वामी का नाम

2. पता (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :

(ख) पत्राचार के लिए।

3. स्वामित्व की किस्म

(पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड/फर्म/एकल स्वामीधारिता समुत्थान/व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

4. स्वामी, उपक्रम (उपक्रमों) के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां

स्वामी/उपक्रम (उपक्रमों) का नाम	कानून का नाम	रजिस्ट्रीकरण सं० और तारीख	रजिस्ट्रीकरण का राज्य/स्थान

†कम्पनी अधिनियम/कारखाना अधिनियम/अन्य कोई राज्य अधिनियम।

5. कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति।

क्रम सं०	उपक्रम का नाम विद्यमान/प्रस्तावित	अवस्थिति/स्थान राज्य	कारबार, क्रियाकलापों की प्रकृति

6. क्रियाकलाप की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित विशिष्टियां दें :

क्रम सं०	एकक (एककों) का/के नाम और अवस्थान	विनिर्मित माल	की गई सेवाएं	अन्य क्रिया-कलाप

7. धारा और वह तारीख जिसका एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1984 के उपबन्ध उपक्रम (उपक्रमों) को लागू हुए –

धारा	तारीख
20(क)(i)	
20(क)(ii)	
20(ख)(i)	
20(ख)(ii)	

भाग 'ख'

प्रबन्ध और शेयर धारण पद्धति

8. यदि उपक्रम किसी एकल स्वत्वधारिता समुत्थान/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/व्यष्टि/संगम/न्यास या किसी भागीदारी फर्म, के स्वामित्व में है, तो, कृपया उपक्रम और साथ ही अंतर्संम्बद्ध उपक्रमों की बाबत निम्नलिखित जानकारी दें :

(i) पूंजी की विशिष्टियां— उपाबन्ध 1

(ii) स्वामियों की विशिष्टियां— उपाबन्ध 1क

(iii) स्वामियों के उन नातेदारों की विशिष्टियां जो अन्य संगठनों में पद धारण किए हुए हैं उपाबन्ध 1 ख

¹इसके अंतर्गत राज्य / क्षेत्रों में अवस्थित ऐसे एकक भी हैं जिनको अधिनियम लागू नहीं होता।

9. यदि उपक्रम किसी निगमित निकाय के स्वामित्व में है तो कृपया उपक्रम और साथ ही अंतर्संम्बद्ध उपक्रमों की बाबत निम्नलिखित जानकारी दें :

(1) शेयर पूंजी की विशिष्टियां उपाबन्ध 2

(2) निदेशक-बोर्ड की विशिष्टियां उपाबन्ध 2क

(3) प्रत्येक निदेशक के उन नातेदारों की विशिष्टियां जो अन्य संगठनों में पद धारण किए हुए हैं उपाबन्ध 2ख

(4) उपक्रम के उन कर्मचारियों की विशिष्टियां जो अन्य संगठनों में पद धारण किए हुए हैं। उपाबन्ध 2ग

10. यदि उपक्रम ने कोई विदेशी सहयोग करार किया है तो कृपया ब्यौरे दें। करार (करारों) की एक प्रति भी संलग्न की जाए।

भाग 'ग'

अंतर्संम्बद्ध उपक्रम

11. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ में आपके उपक्रम से अंतर्संम्बद्ध उपक्रमों की विशिष्टियां। (कृपया सभी उपक्रमों के ब्यौरे दें, चाहे एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, व्यतिक्रम सूचना के अधीन या रजिस्ट्रीकृत नहीं है किन्तु धारा 2(छ) के अधीन अंतर्संबंधन के मापदण्ड को पूरा करते हैं :—

क्रम सं०	उपक्रम का नाम और पता	आस्तियों की कुल मूल्य तारीख रु० लाखों में	यदि रजिस्ट्रीकृत/अंतर्संम्बधन व्यतिक्रम के अधीन	का आधार है
1	2	3	4	5

12. कृपया अपने उपक्रम के अंतिम तुलनपत्र की एक प्रति संलग्न करें।

भाग 'घ'

क्षमता, उत्पादन, निर्यात और विक्रय

13. कृपया अपने उपक्रम (उपक्रमों) की और अंतर्संम्बद्ध उपक्रम (उपक्रमों) की पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती तीन कलेंडर वर्षों के लिए प्रत्येक उत्पादन की पृथक-पृथक अनुज्ञप्त और स्थापित क्षमता, उत्पादन निर्यात और विक्रय की विशिष्टियां उपाबंध 3 के अनुसार दें।

मुख्य अधिकारी के

हस्ताक्षर........

स्थान :

तारीख :

मैं......................सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं कि ऊपर मद 1 से 13 में और उपाबन्धों में जो कुछ कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

मुख्य अधिकारी के

हस्ताक्षर.......

(भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाए)

1. आवेदन की प्राप्ति की तारीख
2. रजिस्ट्रीकरण की तारीख
3. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
4. उपक्रम को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख

प्राप्त करने वाले अधिकारी के

हस्ताक्षर..... ....

उपाबन्ध—1

————————को स्वत्वधारियों/भागीदारों की विशिष्टियां

क्रम सं०	एकल स्वत्वधारी/भागीदारों का का नाम और पता	लाभ/हानि में शेयर की प्रतिशतता
1	2	3

योग :

उपाबंध 1क

————————को और उससे पूर्व छह मास की अवधि के भीतर धारित अन्य पदों के संबंध में स्वामियों की विशिष्टियां

क्रम सं.	नाम और पता†	पारस्परिक नातेदारी††	अन्य संगठनों में निदेशक भागीदार, प्रबंधक, स्वत्वधारी, सलाहकार, न्यासी परामर्शी, कार्यपालक या कर्मचारी के रूप में धारित पद के ब्यौरे†††	तारीख नियुक्ति	त्यागपत्र, यदि लागू हो
1	2	3	4	5	6

†(i) कृपया पूरा नाम दें।

††(ii) कंपनी नियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित

†††(iii) यदि किसी सरकारी/वित्तीय संस्था, निगम, अन्य निगमित निकाय के नामनिर्देशिती हैं तो कृपया बताएं ।

(iv) यदि अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/तकनीकी निदेशक/प्रबंधक आदि है, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें ।

(v) यदि अन्य संगठनों में आपके नाम निर्देशिती के रूप में निदेशक या प्रबंधक का पद धारण किए हुए है तो कृपया बताएं कार्यपालक पद की दशा में, यदि ऐसी नियुक्ति के लिए अन्य समुत्थान के साथ कोई करार है तो कृपया बताएं।

(vi) यदि कंपनी कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया है उसके पास लम्बित है तो कृपया बताएं ।

उपाबन्ध 1ख

स्वामियों के उन नातेदारों की विशिष्टियां जो——————— को और उससे पूर्व छह मास की अवधि के भीतर अन्य संगठन में पद धारण किए हुए हैं।

क्रम सं.	स्वामी का नाम	नातेदार का नाम	नातेदारी †	अन्य संगठनों में निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, स्वत्वधारी सलाहकार, न्यासी परामर्शी कार्यपालक, या कर्मचारी के रूप में धारित पद के ब्यौरे
1	2	3	4	5

†कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित।

उपाबन्ध 2

————————को शेयर पूंजी की विशिष्टियां

समादत्त पूंजी

I. शेयर धारकों की कुल संख्या

(i) साधारण

(ii) अधिमान

II. शेयरों के ब्यौरे :

शेयर का वर्ग	शेयरों की कुल संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	प्रत्येक शेयर का समादत्त मूल्य	यदि मतदान अधिकार है
1	2	3	4	5

III. शेयर धारण पद्धति

कृपया नाम, पता और निम्नलिखित में से प्रत्येक द्वारा धारित प्रत्येक वर्ग के शेयरों की संख्या उपदर्शित करें ।

साधारण अधिमान

(क) विदेशी/अनिवासी नियंत्री

(ख) वित्तीय संस्थाएं

(ग) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक

(घ) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/राज्य वित्तीय/औद्योगिक या विनिधान निगम

(ङ) निदेशक (प्रत्येक निदेशक के लिए पृथक-पृथक उपदर्शित करें)।
निदेशक का नाम

(i) स्वयं का नाम

(ii) नातेदारों के साथ संयुक्त.

(iii) अन्यों के साथ संयुक्त.

(iv) न्यास में, या न्यासियों के रूप में

(v) अन्य " सहयुक्त व्यक्ति" जो ऊपर (i) से (iv) के अंतर्गत नहीं हैं

(च) प्रत्येक निदेशक के नातेदार (प्रत्येक निदेशक के लिए पृथक-पृथक उपदर्शित करें)
नाम

(i) स्वयं का नाम

(ii) अन्यों के साथ संयुक्ततः

(छ) निगमित निकाय; फर्म, न्यास, जो पहले किसी के अंतर्गत नहीं आए हैं (प्रत्येक का नाम और ब्यौरे दें)

(i) अंतर्सम्बद्ध उपक्रम

(ii) अन्य

(ज) कंपनी या उसके अंतर्सम्बद्ध उपक्रमों के कर्मचारी

(i) ऊपर के ऐसे 50 व्यष्टि शेयर-धारकों में से प्रत्येक जो पहले किसी के अंतर्गत नहीं आए हैं ।

उपाबंध 2क

प्रबंध पद्धति

तारीख ·········· ··· को और उसके पहले छह मास की अवधि के भीतर निदेशक-बोर्ड की विशिष्टियां

क्रम सं०	नाम पदनाम और पता*	परस्पर संबंध**	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र की तारीख यदि लागू हो	अन्य संगठनों में निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, स्वत्वधारी, सलाहकार, कार्य-न्यासी, परामर्शी, कार्यपालक या कर्मचारी के रूप में धारित पद के ब्यौरे***
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

टिप्पण :

*(i) कृपया पूरा नाम दें।

(ii) यदि अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/तकनीकी निदेशक/प्रबंधक आदि है तो विनिर्दिष्ट करें ।

(iii) यदि किसी सरकार का नामनिर्देशिती/वित्तीय संस्थाएं/निगम/अन्य निगमित निकाय है तो कृपया बताएं ।

** (iv) जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है।

***(v) यदि उनके नामनिर्देशिती के रूप में अन्य संगठनों में निदेशक या प्रबंधक का पद धारण किया हुआ है तो कृपया बताएं। कार्यपालक पदों की दशा में, यदि ऐसी नियुक्ति के लिए अन्य मंत्रालय के साथ कोई करार है तो कृपया बताएं।

उपाबंध 2 ख

प्रत्येक निदेशक के ऐसे नातेदारों की सूची जो तारीख ... को और उसके पहले छह मास की अवधि के भीतर अन्य संगठनों में पद धारण किए हुए हैं।

क्रम सं०	निदेशक का नाम	नातेदार का नाम	नातेदारी*	अन्य संगठनों में निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, स्वत्वधारी, सलाहकार, न्यासी परामर्शी, कर्मचारी के रूप में धारित पद के ब्यौरे
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

*जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है।

उपाबंध 2 ग

तारीख ..... को और उसके पहले छह मास की अवधि के भीतर निगमित निकाय के कर्मचारियों की विशिष्टियां।

क्रम सं.	नाम, पदनाम और पता*	क्या किसी निदेशक** से नातेदारी है	निदेशक या कर्मचारी*** के रूप में अन्य निगमित निकायों में धारित पद के ब्यौरे
1	2	3	4
1			
2			
3			

टिप्पण :—

* (i) कृपया पूरा नाम दें।

(ii) यदि, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/तकनीकी निदेशक/प्रबंधक आदि है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें।

(iii) यदि कंपनी कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया है/उसके पास लंबित है तो कृपया बताएं।

**(iv) जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है।

***(v) यदि आपके नामनिर्देशिती के रूप में अन्य निगमित निकायों में निदेशक/कर्मचारी का पद धारण किया हुआ है तो कृपया बताएं, यदि ऐसी नियुक्ति के लिए अन्य निगमित निकाय के साथ कोई करार है तो कृपया बताएं।

उपाबंध 3

(भाग-"घ" देखें)

ए० अ० व्य० व्य० अधिनियम, 1969 के प्रयोजनार्थ क्षमता उत्पादन और विक्रय आंकड़े।

उपक्रम का नाम :

कारखाने का अवस्थान :

क्या विनिर्माण के लिए शक्ति का उपयोग होता है हां/नहीं

वर्ष ..... (स्तंभ 6 से 10 के लिए सुसंगत) औसत प्रति-दिन नियोजन ..... वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित अधिकतम संख्या।

क्या आपका एकक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (गणना अनुभाग) के अन्तर्गत आता है .....

क्रम सं०	उत्पाद का नाम	मात्रा की इकाई	क्षमता* अनुशंसित	संस्थापित
1	2	3	4	

उत्पादन		नियति		विषय**
मात्रा	मूल्य (रु०) (कारखाना द्वार)	मात्रा	मूल्य (रु०) (सी. सी. वी.)	मूल्य (रु०)
5		6		7

टिप्पण :—(1) कृपया प्रत्येक उत्पाद के लिए जानकारी पृथक-पृथक दें।

2. कृपया स्तंभ 4 और 5 में जानकारी चालू वर्ष के लिए दें और स्तंभ 6 से 10 में जानकारी, पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष के पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन कलैंडर वर्ष के लिए दें।

*जैसा कि 18 अगस्त, 1982 से प्रभावी ए०अ०व्य०व्य० (संशोधन) अधिनियम, 1982 में परिभाषित है।

**निर्यात से भिन्न।

(7) प्ररूप 8 और 9 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखे जाएंगे अर्थात् :—

प्ररूप सं० 8

[नियम 9 ख (1) देखें]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 30 ख (1) के अनुसरण में शेयरों के अर्जन के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए अनुमोदन के लिए आवेदन का प्ररूप।

1. आवेदक का नाम और पता

2. आवेदक के निदेशकों के नाम, यदि आवेदक कंपनी है, जिसके साथ अन्य निदेशक पदों, भागीदारों और उनके द्वारा धारित स्वत्वधारिता के ब्यौरे दिए जाएं।

3. वह प्रस्ताव जिसके लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन, अधिनियम की धारा 30 (ख) (1) के अधीन मांगा गया है।

4. उस रजिस्ट्रीकृत कंपनी का नाम और पता जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है।

5. क्या आवेदक, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अर्थान्तर्गत "समूह" का घटक है । यदि हां तो उस समूह का नाम और सभी घटकों के ब्यौरे ।

6. क्या वह कंपनी जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, किसी अन्य कंपनी का समनुषंगी है । यदि हां, तो नियंत्री कंपनी का नाम ।

7. क्या वह कंपनी जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत/रजिस्टर करने योग्य है । यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण सं. और वह धारा उपवर्णित करें जिसके अधीन वह रजिस्ट्रीकृत है ।

8. कंपनी के उन निदेशकों के नाम जिनके शेयर अर्जित किए जाने हैं ।

9. प्रस्तावित विनिधान के ब्यौरे :

(क) अर्जन के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या और अभिहित मूल्य ।

(ख) क्या प्रस्तावित शेयरों का अर्जन किसी अन्तरण के परिणामस्वरूप या कंपनी द्वारा नए शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप किया जाना है ।

(ग) क्या शेयर आवेदक द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित किए जाने हैं ।

(घ) वह दर जिस पर शेयर अर्जित किए जाने वाले हैं और उस के लिए पूर्ण औचित्य ।

(ङ) विनिधान की जाने वाली रकम ।

(च) क्या वे शेयर किसी शेयर बाजार में कोट किए गए हैं । यदि हां, तो वह कीमत जिस पर शेयर कोट किए गए हैं, कोटेशन की तारीख और शेयर बाजार का नाम ।

(छ) संदाय का रूप ।

(ज) उपाबंध 1 के अनुसार शेयरों का विश्लेषित मूल्य ।

(झ) उपाबंध 2 में वर्णित संगणना पद्धति के अनुसार प्राप्ति पर आधारित शेयरों का मूल्य ।

10. (क) क्या उस कंपनी की आस्तियों का, जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, पिछले दो वर्षों के दौरान प्रबंधकों द्वारा मूल्यांकक की सहायता से मूल्यांकन किया गया था । मूल्यांकन के आधार सहित आस्तियों के मूल्य की बाबत एक विवरण, आवेदन के साथ संलग्न किया जाए ।

(ख) यदि उस कंपनी की नियत आस्तियों का, जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, किसी भी समय पुनर्मूल्यांकन किया गया है तो उसके ब्यौरे ।

11. उन व्यक्तियों के पूरे ब्यौरे (नाम, पता, आदि) जिनसे शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है ।

12. शेयरों का अर्जन करके पूरा किया जाने वाला प्रयोजन और वह किस प्रकार आवेदक/कंपनी के हित में है ।

13. आवेदक कंपनी के शेयर धारण की पद्धति ।

क्रम सं०	नाम	धारित साधारण शेयरों की सं०	साधारण शेयरों की प्रतिशतता
1	वित्तीय संस्थाएं/सरकार/कंपनी/निगम (अलग अलग नामों द्वारा)		
2.	वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक		
3.	अनिवासी		
4.	आवेदक कंपनी से अन्तर्संबद्ध निगमित निकाय ।		
5.	अन्य निगमित निकाय		
6.	निदेशक		
7.	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार		
8.	अन्य		

14. उस कंपनी में, जिसके शेयर अर्जित किए जाने हैं, शेयर धारण की वर्तमान और शेयरों के अर्जन के पश्चात् पद्धति ।

क्रम सं०	नाम	धारित साधारण शेयरों की सं०	साधारण पूंजी की प्रतिशतता
1.	अधिनियम की धारा 2 (थक) में यथापरिभाषित वित्तीय संस्थाएं		
2.	अनिवासी (व्यष्टि, विदेशी कंपनियां, आदि)		
3.	निदेशक और उनके नातेदार		
4.	अन्तर्संबद्ध निगमित निकाय		
5.	भारतीय जनता		

टिप्पण 1. यदि किसी व्यष्टि/घटक का शेयरधारण, कंपनी की कुल साधारण पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक है तो कृपया ऐसे प्रत्येक शेयर धारक का नाम और ऐसे शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों को पृथक-पृथक उपवर्णित करें ।

2. कृपया यह उपवर्णित करें कि समूह के अन्तर्संबद्ध घटकों के साथ आवेदक का शेयर धारण, शेयरों के प्रस्तावित क्रय के पश्चात् कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के कुल अभिहित मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है या हो जाएगा जिससे अधिनियम की धारा 30ख के अधीन आवेदन के लिए समुचित आधार हो ।

15. (क) शेयर उसके/अपने नाम में अर्जित किए जाने हैं या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में । यदि शेयर किसी अन्य व्यक्ति के नाम में अर्जित किए जाने हैं तो नातेदारी, यदि कोई हो, के साथ उसकी पूर्ण विशिष्टियां दें ।

(ख) यदि ऊपर (क) का उत्तर सकारात्मक है तो उसके कारण क्या हैं ।

16. शेयरों को अर्जित करने वाले व्यक्तियों का, अन्तरक (अन्तरकों) और कंपनी के उन निदेशकों के साथ नातेदारी/सहयोजन यदि कोई हो, जिनके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है ।

17. (क) उपलब्ध निधियों के ब्यौरे जिनमें से शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है । (यदि आवेदक एक कंपनी है तो, पांच वर्षों का नकदी प्रवाह विवरण, जिसमें वह वर्ष भी सम्मिलित है जिसमें अन्तरण का प्रस्ताव है, संलग्न किया जाएगा) ।

(ख) यदि विनिधान की जाने वाली रकम के किसी भाग का उधारों द्वारा वित्त पोषण किया जाना है तो प्रतिसंदाय, ब्याज, प्रतिभूति, आदि से संबंधित निबंधनों सहित उधार की रकम और वित्त के स्रोत बताए जाएं ।

18. (क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (4) और/या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23, 30ग के उपबंध और किसी अन्य विधि के उपबंध उपरोक्त संव्यवहार की बाबत लागू हैं । यदि हां, तो क्या उनका अनुपालन किया गया है । कृपया विशिष्टियां दें ।

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन अनुमोदन प्रस्तावित अर्जन के लिए आवश्यक है । यदि हां, तो यह बताया जाए कि क्या आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । उक्त अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जाए ।

19. क्या उस कंपनी के निदेशक बोर्ड की संरचना में कोई परिवर्तन होगा जिसके शेयरों को, प्रस्तावित अर्जन के परिणामस्वरूप अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है । यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें ।

20. कोई अन्य जानकारी जिसे कंपनी देना चाहती है ।

21. कृपया निम्नलिखित संलग्न करें —:

(i) विहित आवेदन फीस के लिए चालान/बैंक ड्राफ्ट ।

(ii) उस वर्ष के जिसमें शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है ठीक पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन वर्ष के लिए, उस कंपनी का, जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा का एक एक प्रति ।

(iii) यदि आवेदक कंपनी है तो उस वर्ष के जिसमें शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, ठीक पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन वर्ष के लिए आवेदक का संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा की एक-एक प्रति ।

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन पत्र में कथित, तथ्य, मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं और अन्य तथ्य मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख : पदनाम/वर्णन

टिप्पण : (क) यदि यह आवेदन किसी भी बाबत अपूर्ण है, तो उस कमी को आवेदक को बताया जाएगा और अधिनियम की धारा 30च में उल्लिखित 60 दिन की अवधि उस तारीख से संगणित की जाएगी जिससे ऐसी कमी को दूर किया जाता है ।

(ख) संलग्नक सहित आवेदन प्ररूप तीन प्रतियों में दिया जाएगा ।

(ग) मद सं. 9 (ज), 9 (झ), 10 (क), 10 (ख) और 17 (क) तथा (ख) की बाबत जानकारी उस दशा में देना आवश्यक नहीं है यदि अर्जन किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों का अभिहित मूल्य 10,000 रु. से कम है ।

उपाबंध 1

अंतिम तुलनपत्र के अनुसार शेयरों का विश्लेषित मूल्य

(रुपए हजार में)

समादत्त पूंजी :

जोड़ें आरक्षिति और अधिशेष

घटाएं :

(क) उस सीमा तक प्रकीर्ण व्यय जो अपलिखित नहीं किए गए हैं।

(ख) लाभ और हानि लेखा का विकलन अतिशेष ।

(ग) अवक्षयण के अलावा, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है ।

(घ) आकस्मिक दायित्व, जैसे :

(i) उपदान, कर आदि ब्यौरे सहित :

(ii) आरक्षितियों में से अंतर्वलित किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांश :

(iii) आयकर दायित्व, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है :

कुल शुद्ध मूल्य क

अधिमान पूंजी-ख

साधारण पूंजी का शुद्ध मूल्य—क—ख

साधारण शेयर के अनुसार विश्लेषित मूल्य—क-ख

साधारण शेयरों की कुल सं.

उपाबंध 2

प्राप्ति के आधार पर शेयरों का मूल्य

(अंतिम तीन वर्षों के लिए तुलनपत्र से लिए जाने वाले आंकड़ें)

लाभ	——को समाप्त होने वाला वर्ष	——को समाप्त होने वाला वर्ष	——को समाप्त होने वाला वर्ष
लाभ (अवक्षयण के पश्चात् किन्तु कर के पूर्व और विकास रिबेट आरक्षिति के लिए उपबंध करने के पश्चात्)			
जोड़ें विकास रिबेट आरक्षिति			
आस्तियों के विक्रय में हानि और अमावर्ती प्रकृति के व्यय की कोई मद			
क :	क1	क2	क3
घटाएं :			
(i) विनिधानों पर लाभांश (व्यापार विनिधानों से भिन्न) ।			
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज ।			

	क1	क2	क3
(iii) नियत आस्तियों/विनिधान के विक्रय पर लाभ तथा अन्य कारबार-इतर लाभ			
(iv) पूर्व लिखित अधिक उपबंध			
कर पूर्व लाभ : ग=(क-ख)	ग1	ग2	ग3

*औसत वार्षिक कर पूर्व लाभ: 1/3सग (ग1+ग2+ग3) ग

घटाएं :

@60 % की दर से प्राक्कलित कर दायित्व — च

कराधान के पश्चात् औसत शुद्ध लाभ (ग—च) — ञ

15 % प्रत्यागम पर "ञ" का पूंजीकरण — ञ × 100 = ङ.
——————
15

जोड़ें उस विनिधान पर बाजार मूल्य जिस पर ऊपर की संगणना में लाभांश घटाया गया है : — च

शुद्ध मूल्य (ङ + च) — छ

घटाएं अधिमान-पूंजी : — ज

ईक्विटी का शुद्ध मूल्य — छ—ज

एक साधारण शेयर का शुद्ध मूल्य — छ—ज.
——————————
साधारण शेयर की संख्या

टिप्पण : यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ में पर्याप्त रूप से उतार-चढ़ाव हो तो पांच वर्ष के कार्यकरण का औसत लिया जाना चाहिए ।

प्ररूप सं. 9

[नियम 9ग (i) देखें]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

(1) धारा 30ग के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के शेयरों के अन्तरण के प्रस्ताव की संसूचना का प्ररूप धारा 30घ के अनुसरण में विदेशी कंपनियों के शेयरों के अन्तरण के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन का प्ररूप ।

1. अन्तरक (अन्तरकों) का/के नाम और उसके/उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (कार्यालयों) का/के पता (पते)

2. अन्तरक (अन्तरकों) के निदेशकों के नाम जिसमें उनके द्वारा अन्य निगमित निकायों में धारित निदेशक पदों/स्वत्वधारिता भागीदारी के पूरे ब्यौरे दिए जाएं ।

3. (क) (i) उस कंपनी के, जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता,

(ii) यदि आवेदन धारा 30 घ के अधीन किया गया है, तो भारत में कारबार का स्थापित स्थान बताएं ।

(ख) उस कंपनी की जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, कुल जारी की गई अभिदाय की गई और समादत्त साधारण शेयर पूंजी ।

(ग) उन शेयरों की, जिन्हें अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, संख्या अभिहित मूल्य और अन्य विशिष्टियां ।

4. उस कंपनी के जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, अन्तरक के नामनिर्देशिती, यदि कोई हों, उपदर्शित करते हुए, निदेशक-बोर्ड की संरचना ।

5. क्या वह कंपनी, जिस के शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, कोई ऐसा उपक्रम है जिसको अधिनियम के अध्याय 3 के भाग क के उपबन्ध लागू होते हैं, यदि हां तो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक उपदर्शित करें ।

6. क्या आवेदक अधिनियम के अर्थान्तर्गत एक समूह का घटक है । यदि हां, तो उस समूह का नाम और उसके सभी घटकों के ब्यौरे।

7. निम्नलिखित रूप में शेयर धारण पद्धति :—

(i) अधिनियम की धारा 2 (घ क) में यथा-परिभाषित वित्तीय संस्थाएं । यदि अन्तरक एक समूह घटक है तो उस समूह का जिसका अन्तरक है, वर्तमान नियंत्री उपदर्शित किया जाए ।

(ii) अनिवासी (व्यष्टि, विदेशी कम्पनी आदि)

(iii) निदेशक और उनके नातेदार

(iv) अन्तर्संबद्ध निगमित निकाय

(v) भारतीय जनता ।

8. अन्तरक (अन्तरकों) के वर्तमान नियंत्री, जिसके अन्तर्गत उसी प्रबंध के अधीन वे कंपनियां भी हैं जो उस कंपनी की जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, अभिदत्त साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में, शेयरों की प्रतिशतता धारण करते हैं ।

(टिप्पण :— प्रत्येक ऐसे निगमित निकाय की, जो कुल साधारण शेयर पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करता है, पृथक रूप से उपदर्शित किया जाएगा) ।

9. प्रस्तावित अन्तरिती (अन्तरितियों) का/के नाम और उसका/उनके पते ।

10. यदि अन्तरिती कोई कंपनी है तो उसके निदेशकों के नाम ।

11. प्रस्तावित अन्तरिती (अन्तरितियों) द्वारा और उस समूह के, जिसका अन्तरिती है/हैं, अन्य घटकों द्वारा उस कंपनी की, जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, साधारण शेयर पूंजी में पहले से ही धारित साधारण शेयरों की संख्या और अभिहित मूल्य, और कंपनी की कुल साधारण पूंजी के धारित शेयरों की प्रतिशतता।

12. अन्तरिती (अन्तरितियों) और उस समूह के, जिसका वह है, घटकों द्वारा प्रस्तावित शेयरों का अर्जन किए जाने के पश्चात् धारित साधारण शेयरों की संख्या और अभिहित मूल्य और उन शेयरों की, जो ऐसे अर्जन के पश्चात् कंपनी की कुल साधारण पूंजी में होंगे, प्रतिशतता ।

13. (क) क्या उस कंपनी की, जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, आस्तियों का पिछले दो वर्षों के दौरान प्रबन्ध द्वारा किसी मूल्यांकक की सहायता से मूल्यांकन किया गया था । मूल्यांकन के आधार सहित आस्तियों के मूल्य की बाबत एक विवरण आवेदन के साथ संलग्न किया जाए ।

(ख) यदि उस कंपनी की, जिसके शेयर को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, आस्तियों का किसी भी समय पुनर्मूल्यांकन किया गया है, तो उसके पूरे ब्यौरे ।

14. (क) शेयरों का अभिहित मूल्य

(ख) वह दर जिस पर शेयर को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है ।

15. क्या अन्तरित किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों को किसी शेयर बाजार में कोट किया गया है । यदि हां, तो वह दर जिस पर उन्हें कोट किया गया था, कोटेशन की तारीख और उस शेयर बाजार का नाम जिसमें वे सूचीबद्ध हैं, बताए जाएं ।

16. (क) उस कंपनी के, जिसके शेयरों को, अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है, अंतिम तुलनपत्र के अनुसार उपबंध में संगणित रूप में शेयरों का विश्लेषित-मूल्य ।

(ख) प्राप्ति के आधार पर शेयरों का मूल्य जैसा कि उपबंध II में संगणित है ।

17. क्या शेयरों के प्रस्तावित अंतरण से उस कम्पनी के, जिसके शेयरों को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है, निदेशक बोर्ड की संरचना में कोई परिवर्तन होगा । यदि हां, तो उसके ब्यौरे (धारा 30 ग के अधीन केवल संसूचना की दशा में जानकारी दी जाए) ।

18. (क) क्या शेयरों के अंतरण के लिए, विदेशी व्यापार विनियम अधिनियम, 1973 के अधीन अनुमोदन की आवश्यकता है । यदि हां तो क्या आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । उक्त अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जाए।

(ख) क्या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 372 (4) और/या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम, 1969 की धारा 23 (4) 30-ख के उपबन्ध या किसी अन्य विधि के उपबंध उपरोक्त संव्यवहारों की बाबत लागू होते हैं यदि हो, तो क्या उनका अनुपालन किया गया है।

कृपया विशिष्टियां दें ।

19. (क) उस कंपनी के जिसके शेयरों को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है कारबार क्षेत्र विनिर्मित मदों की बाबत ब्यौरे दिए जाएं ।

(ख) क्या वह कंपनी, जिसके शेयरों को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है, या उसकी सहायुषंगी, अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगी हैं । यदि हां, तो ब्यौरे दिए जाएं ।

20. शेयरों के प्रस्तावित अंतरण द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रयोजन ।

21. कृपया निम्नलिखित को एक-एक प्रति संलग्न करें :—

(1) उस कंपनी के जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा की एक प्रति ।

(2) अंतरक के अंतिम तुलनपत्र और लाभ तथा हानि-लेखा की एक प्रति ।

(3) यदि अंतरिती निगमित निकाय है, तो उसके अंतिम संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा की एक प्रति ।

(4) फीस के संदाय का चालान/बैंक ड्राफट

22. कोई अन्य जानकारी जो कंपनी देना चाहती है ।

मैं/हम, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं कि विवरण में कथित तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं और अन्य तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख .....

पदनाम/वर्णन

टिप्पण :—

(क) यदि संसूचना किसी भी बाबत अपूर्ण है तो कमी की आवेदक को बताया जाएगा और अधिनियम की धारा 30 च में उल्लिखित 60 दिन की अवधि उस तारीख से संगणित की जाएगी, जिससे ऐसी कमी को सुधार दिया जाता है ।

(ख) अधिनियम की धारा 30 घ के अधीन संसूचना की बाबत, विदेशी निगमित निकाय की भारतीय शाखा की आस्तियों आदि की बाबत जानकारी दी जाए ।

(ग) संलग्नकों सहित जानकारी, तीन प्रतियों में दी जाएगी ।

(घ) यदि अंतरित किए जाने वाले प्रस्तावित शेयरों का अभिहित मूल्य 10,000 रु. से कम है, तो मद 13 (क) और 13 (ख), 16 (क), और 16 (ख) की बाबत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाबन्ध 1

अंतिम तुलनपत्र के अनुसार

शेयरों का विश्लेषित मूल्य

समादत्त पूंजी : (रु० हजार में)

जोड़े : आरक्षित और अतिशेष

घटाएं :

(क) उस सीमा तक प्रकीर्ण व्यय जो उपलिखित नहीं किए गए हैं;

(ख) लाभ और हानि लेखे का विकलन अतिशेष;

(ग) अवक्षयण के बकाए, जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है;

(घ) आकस्मिक दायित्व, जैसे :

(1) ब्यौरे सहित उपदान कर, आदि;

(2) आरक्षितियों में से संदत्त किए जाने वाले लाभांश;

(3) आयकर दायित्व, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है ।

कुल मूल्य -क

अधिमान पूंजी-ख

इक्विटी का शुद्ध मूल्य=क-ख

प्रति साधारण शेयर विश्लेषण मूल्य=क-ख

साधारण शेयरों की कुल सं.

उपाबन्ध 2

प्राप्ति पर आधारित शेयरों का मूल्य

(अंतिम तीन वर्षों के लिए तुलनपत्र से दिए जाने वाले आंकड़े)

लाभ	को समाप्त होने वाला वर्ष	को समाप्त होने वाला वर्ष	को समाप्त होने वाला वर्ष
लाभ (अवक्षयण के बाद किन्तु कर के पूर्व और विकास रिबेट आरक्षिती के लिए उपबंध करने के पश्चात)।			
जोड़ें विकास रिबेट आरक्षिती; आस्तियों के विक्रय पर हानि और अनावर्ती प्रकृति के व्यय की मद।			
	क : क 1	क 2	क 3
घटाएं :			
(1) विनिधानों पर लाभांश (व्यापार विनिधान से भिन्न)			
(2) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज			
(3) नियत आस्तियों/विनिधानों के विक्रय पर लाभ और अन्य कारबार-इतर लाभ।			
(4) पूर्वलिखित अधिक उपबंध।			
	ख : ख 1	ख 2	ख 3
कर पूर्व लाभ : ग – (क – ख)	ग 1	ग 2	ग 3
†औसत वार्षिक कर पूर्व लाभ (ग 1+ग 2+ग 3)	1/3 सरा		
@घटाएं			
60 प्रतिशत की दर से प्राक्कलित कर दायित्व कराधान के पश्चात औसत	न		
शुद्ध लाभ	(ग – न)	घ	
15 प्रतिशत प्रत्यागम पर 'घ' का पंजीकरण	$\frac{घ \times 100}{15}$;	= 15	
जोड़ें विनिधानों का बाजार मूल्य जिन पर ऊपर की संगणना में लाभांश की कटौती की गई है :	च		
शुद्ध मूल्य (क – च)		छ	
घटाएं अभिमान-पूंजी	ज		
ईक्विटी का शुद्ध मूल्य :	छ – ज		
एक साधारण शेयर का शुद्ध मूल्य :	$\frac{छ - ज}{\text{साधारण शेयर की सं.}}$		

†टिप्पण : यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ में पर्याप्त रूप से उतार-चढ़ाव हो तो पांच वर्ष के कार्यकरण का औसत लिया जाना चाहिए।"

(8) प्ररूप के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप 10

[नियम 11क (1) देखें]

रजिस्टर

1	क्रम सं.
2	करार की तारीख और उसकी अवधि
3	फाइल करने की तारीख
4	करार के पक्षकारों के नाम और पते
5	उस माल या, सेवाओं का वर्णन जो करार की विषय वस्तु है।
6	करार का सार
7	फेरफार/पर्यवसान से संबंधित करार आदि की तारीख
8	उक्त फेरफार/पर्यवसान को फाइल करने की तारीख
9	फेरफार/पर्यवसान की प्रकृति
10	धारा 37 के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार और उसकी तारीख।
11	धारा 12क/12ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश, यदि कोई हों, का सार और उसकी तारीख।
12	टिप्पणियां

प्ररूप सं. 11

[नियम 11क(6) देखें]

(अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से संबंधित)

रजिस्टर का प्ररूप

1	क्रम सं० ,
2	शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले का नाम।
3	उस उपक्रम का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है या सूचना दी गई है।
4	अभिकथित अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की प्रकृति और सार।
5	शिकायत/सूचना की प्राप्ति की तारीख
6	यदि अभिकथित व्यवहार किसी करार से संबंधित है, तो उस करार की संक्षिप्त विशिष्टियां।
7	आयोग/महानिदेशक द्वारा अन्वेषण के लिए आदेश की तारीख
8	अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख
9	अधिनियम की धारा 37 के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार और उसकी तारीख
10	अधिनियम की धारा 12क/12ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार और उसकी तारीख।
11	टिप्पणियां

प्ररूप 11क

[नियम 11क (6) देखें]

(एकाधिकार व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित)

रजिस्टर का प्ररूप

1.	क्रम सं.
2.	शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले का नाम
3.	उस उपक्रम का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है या सूचना दी गई है।
4.	अभिकथित एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार की प्रकृति और सार।
5.	शिकायत/सूचना प्राप्ति की तारीख
6.	यदि अभिकथित व्यवहार किसी करार से संबंधित है तो उस करार की संक्षिप्त विशिष्टियां।
7.	आयोग/महानिदेशक द्वारा किए गए अन्वेषण के आदेश की तारीख।
8.	अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख।
9.	अधिनियम की धारा 31/37(4) के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार।
10.	अधिनियम की धारा 12क/12ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश, यदि कोई हो, का सार और उसकी तारीख।
11.	टिप्पणियां

प्ररूप 11ख

[नियम 11क(6) देखें]

(अनाजिव व्यापारिक व्यवहार से संबंधित)

रजिस्टर का प्ररूप

1.	क्रम सं०
2.	शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले का नाम
3.	उस उपक्रम का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है या सूचना दी गई है।
4.	अभिकथित एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार की प्रकृति और सार।
5.	शिकायत/सूचना की प्राप्ति की तारीख।
6.	यदि अभिकथित व्यवहार किसी करार से संबंधित है तो उस करार की संक्षिप्त विशिष्टियां।
7.	आयोग/महानिदेशक द्वारा किए गए अन्वेषण के लिए आदेश की तारीख।
8.	अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख
9.	अधिनियम की धारा 36ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार।
10.	अधिनियम की धारा 12क/12ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश, यदि कोई हो, का सार और उसकी तारीख।
11.	टिप्पणियां

प्ररूप 12

[नियम 12 (1) (ख) देखें]

प्रमाण पत्र

मैं ..... जो श्री .....

का पुत्र हूं और ..... स्थान पर निवास या कारबार करता हूं, सत्यनिष्ठा से और ईमानदारीपूर्वक अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार यह कथन करता हूं कि इससे संलग्न दस्तावेजों में करार या करारों के सम्पूर्ण निबंधन या फेरफार या पर्यवसान तथा उन व्यक्तियों के नाम समाविष्ट हैं जो इसके पक्षकार है और जिसमें किसी व्यवसाय संगम द्वारा किए गए किसी करार की दशा में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो संगम के सदस्य हैं या जिनका ऐसे सदस्यों द्वारा उसमें प्रतिनिधित्व किया जाता है।

हस्ताक्षर .....

स्थान

तारीख .....

[फा० सं० 38/2/84-सी. एल 5]

स० म० दुगड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 1984

G.S.R. 854(E):—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the *Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970 (hereinafter called "the said rules"), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rules 2 of the said rules,—

(1) after clause (b), the following clause shall be inserted as clause (bb), namely:—

'(bb) "Director General" means the Director General of Investigation and Registration appointed under section 8 of the Act;';

*Note:— The Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970—Published vide Notification No. G.S.R. 1037 (E) dt. 9/7/70 Part II Sec. 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India (Extraordinary) dt. 10-7-70. Subsequently amended by Notification No:

(i) G.S.R. 92 dated 8-1-71
(ii) G.S.R. 672 dated 29-4-71
(iii) G.S.R. 748 dated 6-6-72
(iv) G.S.R. 321(E) dt. 22-6-72
(v) G.S.R. 1016 dt. 28-8-74
(vi) G.S.R. 1017 dt. 10-9-74
(vii) G.S.R. 1181 dt. 2-8-76
(viii) G.S.R. 1392 dt. 18-9-76
(ix) G.S.R. 1124 dt. 4-9-78

(2) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

'(c) "principal officer" in relation to an undertaking means :

(i) where the undertaking is owned by a body corporate—

(A) the managing director of the body corporate; or

(B) any other director, manager or Secretary of the body corporate who has been authorised by the Board of Director of such body corporate by means of a resolution in that behalf;

(ii) where the undertaking is owned by a firm, any partner thereof;

(iii) where the undertaking is owned by a Hindu Undivided Family, the Karta or the manager of the family;

(iv) where the undertaking is owned or controlled by an association of individuals, whether incorporated or not, the individual who has been specifically authorised in writing in this behalf;

(v) where the undertaking is owned by an individual, the individual himself;

(vi) where the undertaking is owned or controlled by a trust, the managing trustee or any other individual who is managing the trust;'.

3. For the proviso to rule 3 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that in respect of applications made under clause (d) of sub-section (3) of section 21, clause (d) of sub-section (3) of section 22, section 25 and section 26 of the Act, it shall be sufficient if such applications are accompanied by one original and six copies thereof."

4. In rule 5 of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Every such notice shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees one thousands"..

5. After rule 5 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"5A. Application under clause (d) of sub-section (3) of section 21.—(1) For obtaining the previous approval of the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of section 21 of the Act, there shall be made an application in Form 1B.

(2) The procedure laid down in sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 5 shall be applicable to an application referred to in sub-rule (1) of this rule.

(3) The Central Government may, before passing any order on the application referred to in sub-rule (1), require the owner of the undertaking to furnish such additional information as that Government may consider necessary."

6. After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"6A. Application under clause (d) of sub-section (3) of section 22.—(1) For obtaining the previous approval of the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of section 22 of the Act, there shall be made an application in Form IIB.

(2) The procedure laid down in sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 5 shall be applicable to an application referred to in sub-rule (1) of this rule.

(3) The Central Government may, before passing any order on an application submitted under sub-rule (1), require the applicant to furnish such additional information as that Government may consider necessary."

7. In rule 8 of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Every application referred to in sub-rule (1), shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees two hundred."

8. In rule 9 of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Every application referred to in sub-rule (1), shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees five hundred."

9. After rule 9 of the said rules, the following shall be inserted, namely:—

"9A. Application for cancellation of registration.—(1) Every application for cancellation of registration made under sub-section (3) of section 26 of the Act shall clearly indicate the reasons for making such an application and shall also be accompanied by an affidavit signed by the principal officer in support of the statements made in the application.

(2) The statements in support of the application referred to in sub-rule (1) shall be in conformity with the form specified in the Schedule to the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Information) Rules, 1971, as amended, from time to time, or as near thereto as circumstances admit.

(3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees one thousand.

9B. Application for approval under section 30B.—(1) Every application for approval of the Central Government under section 30B of the Act shall be in Form VIII.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees five hundred.

9C. Intimation under section 30C and application for approval under section 30D.—(1) Every intimation, referred to in section 30C and every application for approval under section 30D shall be given in Form IX.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be companied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees five hundred."

10. For rule 10 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"10. Payment of fees.—(1) Fees payable under the Act or any rules or regulations made there under shall be paid by means of a challan into the Public Account of India at the undermentioned branches of the Punjab National Bank for credit under the Head of Account—"104—Other General Economic Services—Fees realised under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969—(i) Fees realised by the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission and by the Director General of Investigation and Registration; (ii) Application fees realised by the Cen-

tral Government under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969".

Sl. No.	City	Name of the Branch of the Punjab National Bank
1.	Ahmedabad	Ashram Road
2.	Allahabad	Civil Lines
3.	Bangalore	City Branch
4.	Bombay	Phiroz Shah Mehta Road
5.	Calcutta	Brabourne Road
6.	Chandigarh	Sector-17
7.	Cuttack	Cuttack
8.	Delhi	Barakhamba Road, New Delhi.
9.	Ernakulam	Ernakulam
10.	Gwalior	Naya Bazar
11.	Hyderabad	Bank Street
12.	Jaipur	M.I. Road.
13.	Jodhpur	Ratnada Colony
14.	Jullundur	Civil Lines
15.	Kanpur	Swaroop Nagar
16.	Madras	Mount Road
17.	Nagpur	Kingsway
18.	Panaji	Piffurlekar Road
19.	Patna	Boring Road
20.	Shillong	Shillong
21.	Srinagar	Amirakadal

(2) The fees payable under the Act, or any rule or regulations made thereunder may also be paid by means of a Demand Draft drawn in favour of Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs, New Delhi.

(3) The Challan/Bank Draft may be sent to the Department of Company Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi or the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission or the Director General of Investigation and Registration, New Delhi, as the case may be."

11. For rule 11 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"11. Application under section 36(3) of the Act.—(1) Where an application is received by the Director General under sub-section (3) of section 36 of the Act and he is of the opinion that it can be disposed of in conformity with any general directions issued by the Commission, he shall do so after giving the applicant an opportunity of being heard.

(2) Any application made to the Director General under sub-section (3) of section 36 of the Act shall be accompanied by six additional copies thereof."

12. After rule 11, the following shall be inserted as rule 11A, namely:—

"11A. Particulars to be entered in the register and its maintenance.—(1) The Director General shall enter the particulars of agreements registrable under sub-section (1) of section 33 of the Act and the substance of each order made by the Commission under section 37 in the register maintained in accordance with Form X.

(2) The Director General shall maintain a speci section of the register under sub-section (2) of section 3 of the Act for entering therein such particulars as may b directed by the commission or as may be prescribe by regulations made in this behalf under section 6

(3) The Director General shall maintain an alphabetic index of the names of the parties to the agreements oth than those reserved to be entered in the special section the register.

(4) The Director General shall also maintain an alph betical index of the agreements in relation to the goods services covered by such agreements, as far as practicabl on the lines of the classification specified in the Schedule the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Cla cation of Goods) Rules, 1971.

(5) All agreements and other documents furnish under section 35 of the Act shall be kept in separate folde arranged in alphabetical order according to the name the first contracting party.

(6) The Director General shall also maintain in rate registres, particulars in respect of restrictive trade pr tices, monopolistic trade practices and unfair tra practices investigated by him or inquired into by t Commission, in accordance with Form XI, Form XI and Form XIB respectively.

13. In rule 12—

(1) For the word "Registrar" wherever it occu the words "Director General" shall be substituted;

(2) In the opening portion, for the words "which subject to registration under Chapter V", the wor "registrable under sub-section (i) of section 33" sh (1) be substituted;

(3) In clause (i), in sub-clause (a), for the word "four the word "two" shall be substituted;

(4) In clause (i), in sub-clause (b), for the word a figures "Form VIII", the word and figures "Form XII shall be substituted;

(5) In clause (ii), in sub-clause (a), for the word "four the word "two" shall be substituted;

(6) In clause (ii), in sub-clause (b), for the word "four the word "two" shall be substituted;

(7) In clause (ii), in sub-clause (c), for the word figures "Form VIII", the word and figures "Form shall be substituted.

14. For rule 13 of the said rules, the following shall substituted, namely:—

"13. Examination and recording of agreements:—

(1) The Director General shall examine or cause to examined particulars of every agreement received in office.

(2) If, on such examination, any particulars are fou to be defective or incomplete in any respect, the Direc General shall, within a period of six months from the d of receipt of the agreement, direct the party who has f nished the agreement to rectify the defects therein or the case may be, to supply the omissions therefrom

(3) The following particulars shall be endorsed every document registered under these rules, namely:

(a) Date on which it is registered;

(b) Serial Number and page of the register of agr ments in which entered.

(4) Every endorsement referred to in sub-rule shall be signed by the Director General and shall bear his official seal"

15. After rule 13, the following shall be inserted, namely:—

"13A. Duties and functions of the Director General.—

(1)(a) The Director General shall, in addition to the duties and functions entrusted to him under the Act and these rules, be entitled to appear in any proceeding in the course of any inquiry before the Commission;

(b) Where the Director General is entitled to appear before the Commission, he may appear either in person or be represented by a counsel duly authorised in this behalf.

(2) It shall be the duty of the Director General to conduct such investigations as may be directed by the Commission for any of the purposes under the Act.

16. After rule 15 of the said rules, the following shall be added namely:—

"16. Inspection of, and extracts from, the register.—(1) Any person who wished to inspect the register, other than the special section, shall apply to the Director General alongwith a challan or a bank draft referred to in rule 10 evidencing payment of a fee of rupees twenty five for each day of inspection.

(2) The Director General may allow the applicant to inspect the register at any time during office hours between 10.30 a.m. and 4.00 p.m. on any day other than Sundays, Second Saturdays of each month and public holidays either in his presence or in the presence of any person authorised by him in this behalf.

(3) The applicant shall not be permitted to take out extracts of any particulars entered in the register, but may be allowed to take notes in pencil of any points from the particulars entered in the register.

(4) Any person who wishes to obtain a certified copy of, or extract from, any particulars entered in the register, other than the special section, shall apply to the Director General and such application shall be accompanied by a fee of rupee one for every one hundred words required to be copied, or extracted.

(5) A copy issued under sub-rule (4) of this rule shall be certified to be a true copy by the Director General or any officer authorised by him in this behalf."

17. (1) In the Schedule to the said rules, for Form I and IA, the following shall respectively be substituted, namely:

"Form I

(See rule 5)

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of Notice* to be given to the Central Government by Owner of an undertaking of his intention to make substantial expansion.

PART 'A'

Particulars about the undertaking

Name and address of the undertaking proposed to be expanded substantially.

Number and date of the undertaking's registration under section 26 of the Act.

*Twelve copies of the notice are required to be sent.

3. In case the undertaking is not registered, indicate:

(i) the date on which it became registrable; and

(ii) the number and date of the default notice, if any issued to the owner of the undertaking for its registration.

4. State whether the undertaking falls under one or more of the clauses of section 20 of the Act, namely:

(1) Clause (a) (i)
(2) Clause (a) (ii)
(3) Clause (b) (i)
(4) Clause (b) (ii)

5. If the undertaking falls under clause (b)(i) or clause (b) (ii) of Section 20 of the Act, state the item(s)/service(s) in relation to which it is dominant.

6. Name and address of every inter-connected undertaking.

7. Indicate the legal status of the owner of the undertaking (whether sole proprietory concern, partnership firm/Hindu undivided family/body corporate/others association of individuals or/trust).

8. If the owner of the undertaking is a sole proprietory concern, give the following details:

(a) Name(s) and address(es) of the proprietor(s).

(b) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (a) above in other organisations.

9. If the owner of the undertaking is a partnership firm, furnish the following details:

(a) Names and addresses of the partners.

(b) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (a) above in other organizations.

10. If the owner of the undertaking is a body corporate, give the following information:

(a) Name of the body corporate and the address of its registered office

(b) Names and addresses of all the units and divisions of the undertaking owned by the body corporate

(c) Names and addresses of the Directors, including Chairman, Managing/Wholetime Directors and Manager, if any

(d) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (c) above in other organizations/body corporate

(e) Authorised, subscribed and paid-up capital (both equity and preference) of the body corporate.
(One copy each of the annual accounts for the last three years to be enclosed).

(f) Existing shareholding pattern in the following form:

Name of the shareholder	Equity capital		Preference capital	
	No. of shares held	Percentage to the total capital	No. of shares held	Percentage to the total capital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) Promoters				
(ii) Relatives, and friends oft he promoters				

1	2	3	4	5
(iii) Directors				
(iv) Relatives, and friends of the Directors				
(v) Associated persons				
(vi) Inter-connected undertakings.				
(vii) Other undertakings.				
(viii) Banks other than financial institutions				
(ix) Financial Institutions*				
(x) Non-residents (foreign companies/individuals)				
(xi) Indian Public				
TOTAL				

(g) Existing borrowings in the following form:

Source from which funds raised	Loans, including public deposits	Debentures	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Promoters and Directors and their relatives, friends and associated persons.			
(ii) Owners of inter-connected undertakings.			
(iii) Owners of other undertakings.			
(iv) Banks other than financial institutions.			
(v) Financial Institutions.**			
(vi) Indian Public			
(vii) Other Sources (to be specified)			
TOTAL:			

(h) Existing debt-equity ratio (A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors of the company to be enclosed).

*Indicate on a separate sheet shareholding of each financial institution.

**Indicate on a separate sheet borrowings from each financial institution.

11. In case the undertaking is engaged in the production of any goods, furnish the following particulars in respect of each article
    (a) Name of the article
    (b) Licensed capacity
    (c) Installed capacity
    (d) Actual production, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.

12. If the undertaking is engaged in the storage, supply, distribution, marketing or control of any goods, furnish the following information:
    (a) Name of each of the goods
    (b) Turnover, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.

13. In case the undertaking is engaged in rendering service(s), give the following information in respect of each service:
    (a) Particulars of the service
    (b) Volume of the service expressed in terms of usual measure as also the income and/turnover from such service during the preceding three years.

PART 'B'

Particulars about the proposed expansion

14. If the requisite fee as required under Rule 10 of the MRTP Rules, 1970 has been paid. (Bank demand draft or the original copy of the challan to be enclosed).

15. Names of the trade journal and newspapers in which a general notice as per Rule 4A of the MRTP Rules, 1970 has been published.
    (Original press cuttings of each publications and a certificate as to the date of publication to be enclosed).

16. If the proposed expansion relates to the production of goods, give the following information:
    (a) Names of the articles
    (b) Licensed capacity:
        (i) Existing
        (ii) Proposed increase
        (iii) Total after expansion
    (c) Installed capacity:
        (i) Existing
        (ii) After proposed expansion
    (d) Production in quantity and value
        (i) In the preceding three years
        (ii) Estimated annual production after proposed expansion
    (e) Assets:
        (i) As at the close of the last financial year
        (ii) After proposed expansion
    (f) Percentage share in total production in India of the same goods

Existing total annual production of the undertaking	Existing total production in the whole country	Source(s) of the figures given in col. (2)	Total Production after proposed expansion	(1) as % of (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

17. If the proposed expansion does not relate to the production but to storage, supply, distribution, marketing or control of goods, or to the provisions of any service, furnish the following information:
    (a) Name(s) of the goods or particulars of the service
    (b) Turnover/income:
        (i) In the preceding three years
        (ii) After proposed expansion
    (c) Assets:
        (i) As on the close of the last financial year
        (ii) After proposed expansion
    (d) Percentage share on all-India basis:

Existing total annual value of goods or services stored or supplied or distributed or marketed or controlled or provided as the case may be, by the undertaking.	Value of goods or services referred to in col. (1) in the whole country (turnover in the case of service(s) provided)	Value of goods or services referred to in col. (1) after the proposed expansion of the undertaking	(1) as % of (2)	Source(s) of the figures given in col. (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

18. If any inter-connected undertaking is engaged in the production, storage, supply, distribution, marketing or control of the same goods or is rendering the same services, furnish full particulars thereof, giving, inter-alia, information on the following points:
    (i) Licensed capacity
    (ii) Installed capacity
    (iii) Actual production/turnover, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.
    (iv) Percentage share on all-India basis (to be given in the same format as in Column 17(d) in respect of each such undertaking).

19. Demand and supply position in the whole country.

Existing demand	Projected demand in the next 5 to 10 yrs. or in the current and the next Five Year Plan period (terminal years only)	Capacity already approved	Capacity actually installed
(1)	(2)	(3)	(4)

Actual production/ turnover in the last three years yearwise	Gap between demand and supply		Sources of information given in cols. (1),(2) (3), (4) and (5)
	(1) minus (3)	(1) minus (5)	
(5)	(6)	(7)	(8)

20. Nature of the proposed good(s) :
    (a) Whether included in Appendix-I to the Government's Industrial Policy Statement dated 2-2-73, as amended from time to time.
    (b) Whether reserved for the Small Scale Sector.
    (c) Likely impact on the Small/Medium Scale Sectors or on the Public Sector.

21. Technology :
    (a) Whether the manufacture of the proposed goods or the proposed service involved sophisticated technology.
    (b) Whether the technology has been developed by the applicant or by other indigenous R & D set-up.
    (c) Particulars of foreign collaboration, if any.

22. Indicate whether the location where expansion is to be effected is a 'No-Industry District' or otherwise a backward District, as notified by the Central Government.

23. State the export potential of the proposed good(s)/service(s) and whether the applicant is prepared to accept export obligation and if so, the extent thereof.

24. Does the proposal involve utilization of any wastes ? If so, give details.

25. Has the proposal any pollution angle ? If so, mention the anti-pollution measures proposed to be taken.

26. Estimated project cost relating to the proposed expansion with the break-up of investment to be made on :

Rs. in lakhs

    (a) Land
    (b) Building
    (c) Machinery
        (i) Imported
        (ii) Indigenous
    (d) Margin money for working capital
    (e) Other heads (to be specified)

TOTAL :

27. Precise scheme of finance, indicating clearly the amount to be raised from :

Rs. in lakhs

    (a) Internal generation of funds (To be supported by a cash flow statement)
    (b) Equity capital
    (c) Preference capital
    (d) Debentures
    (e) Banks
    (f) Financial Institutions
    (g) Foreign Exchange Loans
    (h) Central Subsidy
    (i) State Subsidy
    (j) Other Sources (to be specified)

TOTAL :

28. Promoters' contribution in the proposed scheme of finance, i.e.

Rs. in lakhs

    (a) The amount to be contributed by the Directors, their relatives, friends and associated persons and inter-connected undertakings towards :
        (i) equity capital
        (ii) Preference capital
        (iii) Debentures
        (iv) Unsecured loans
    (b) The amount to be contributed by any party as a joint promoter.
    (c) The amount to be contributed by the foreign collaborators, if any.
    (d) Amount available from internal generation of funds (as mentioned at (a) under item No. 27 above)
    (e) Amount contributed by other promoters, if any (to be specified)

TOTAL :

29. Debt-equity ratio after the proposed scheme of finance has been implemented.

(A statement showing calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors to be enclosed).

30. Was any similar proposal made earlier under the MRTP Act, 1969 and/or Industries (Development and Regulation Act, 1951. If so, the particulars of the proposal, the decision taken by the Government and the number and date of the communication through which the decision was conveyed may be indicated.

31. Any other information which is considered to be relevant.

Signature of Principal Officer

Place :———————

Date :———————

VERIFICATION

"I, AB do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 31 above is true to the best of my knowledge and belief."

Signature of Principal Officer"

FORM 1A

(See rule 4A(1))

Form of general notice to be given to the members of the public before giving a notice to the Central Government under sub-section (1) of Section 21 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that _____ (mention here the name of the owner of the undertaking) proposes to give to the Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi, a notice under sub-section (1) of Section 21 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for substantial expansion of their undertaking. Brief particulars of the proposal are as under :

1. Name and address of the owner of the undertaking.
2. Capital structure of the owner organisation.
3. Location of the unit or division to be expanded.
4. In case the expansion relates to the production, storage, supply, distribution, marketing or control of goods, indicate :
   (i) Names of goods
   (ii) Licensed capacity/turnover before expansion
   (iii) Expansion proposed
5. In case the expansion relates to any service, state the extent of expansion in terms of usual measures such as value, turnover, income, etc.
6. Cost of the project
7. Scheme of finance indicating the amounts to be raised from each source.

Any person interested in the matter may make a representation in quadruplicate to the Secretary, Department of Comany Affaris, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi, within 14 days from the date of publication of this notice, intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Dated this day of.....19.....

Signed

(Name and designation of the principal office of the undertaking issuing the notice)."

(2) After Form IA, the following Form shall be inserted namely :—

"Form IB

(See rule 5A)

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of application* for modification of the Scheme of expansion or the scheme of finance relating thereto.

1. Name and address of the undertaking.
2. Please state whether the requisite fees as required under rule 10 of the MRTP Rules, 1970 has been paid (Bank demand draft or the original copy of the challan to be enclosed).
3. If the owner of the undertaking is a sole proprietory concern /a partnership firm/Hindu undivided family/ association/or trust furnish following information about its capital structure :
   (a) the investment made by the owners
   (b) foreign participation, if any and the terms and conditions of such participation; and
   (c) borrowings, giving break-up of loans raised from banks, insurance companies, financial institutions and other sources.
4. If the onwer of the undertaking is a body corporate, give the following information :
   (a) Name of the body corporate and the address of its registered office;
   (b) Names and addresses of all the units and divisions owned by the body corporate;
   (c) Names and addresses of the Directors, including Chairman, Managing/Whole-time Directors and Manager if any;
   (d) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown againt (c) above in other organisations/body corporate;
   (e) Authorised, subscribed and paid-up capital (both equity and preference) of the body corporate. (A copy each of the annual accounts for the last three years to be enclosed).
   (f) Existing shareholding pattern in the following form :

Name of the share-holder.	Equity capital		Preference capital	
	No. of shares held	Percentage to the total capital	No. of shares held	Percentage to the total capital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) Promoters				
(ii) Relatives, associates and friends of the promoters				
(iii) Directors				

*Five copies of the application are required to be sent.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(iv) Relatives, associates and friends of the Directors				
(v) Inter-connected undertakings.				
(vi) Other undertakings				
(vii) Banks other than financial institutions				
(viii) Financial institutions				
(ix) Non-residents (foreign companies/individuals)				
(x) Indian Public				
Total :				

(g) Existing borrowings in the following form :

Source from which funds raised	Loans including public deposits	Debentures	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Promoters and Directors and their relatives, friends and associates			
(ii) Inter-connected undertakings			
(iii) Other undertakings			
(iv) Banks other than financial institutions			
(v) Financial Institutions			
(vi) Indian Public			
(vii) Other Sources (to be specified)			
TOTAL			

(h) Existing debt-equity ratio (A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors of the company, to be enclosed).

5. Details of the scheme of expansion already approved under Section 21 of the Act.
(A copy of the order passed by the Government to be attached)

6. Precise modification sought to be made in the approved scheme of expansion and reasons therefor.

7. Project cost

Heads of expenditure	Cost as estimated earlier (Rs. in lakhs)	Revised cost estimate (Rs. in lakhs)	Extent of increase/ decrease (Rs. in lakhs)	Full reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) Land				
(b) Building				
(c) Machinery (i) Imported (ii) Indigenous				
(d) Margin money for working capital				
(e) Other Heads (to be specified)				
TOTAL :				

8. Scheme of finance :

Source of finance	Amount which was to be raised earlier (Rs. in lakhs)	Amount now sought to be raised (Rs. in lakhs)	Extent of increase/ decrease (Rs. in lakhs)	Reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) Internal generation of funds (to be supported by a cash flow statement)				
(b) Fresh equity capital				
(c) Preference capital				
(d) Debentures				
(e) Banks other than financial institutions				
(f) Financial Institutions				
(g) Foreign Exchange Loans				
(h) Central Subsidy				
(i) State Subsidy				
(j) Other sources (To be specified)				
TOTAL :				

9. Promoters' contribution in the scheme of finance :

Particulars of contributions	As per the earlier scheme of finance (Rs. in lakhs)	As per the modified scheme (Rs. in lakhs)	Extent of increase/ decrease (Rs. in lakhs)	Reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) The amount to be contributed by the Directors, their relatives, friends and associates and inter-connected undertakings towards : (i) fresh equity capital (ii) preference capital (iii) debentures				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(b) The amount to be contributed by the Joint Sector partner, if any				
(c) The amount to be contributed by the foreign collaborators, if any				
(d) Internal generation of fund (as mentioned under item No.8/(a) above)				
(e) Other promoters, if any (to be specified)				
TOTAL :				

10. Debt-equity ratio after the modified scheme of finance has been implemented (A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors, to be enclosed)

11. Indicate whether the equity shares are listed or proposed to be listed on any recognised stock exchange

12. Any other information considered to be relevant

Signature of Principal Officer

Place : ——————

Date : ——————

VERIFICATION

I, AB do hereby solemnly state that what it stated in items 1 to 12 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer"

(3) For Form II and Form IIA, the following shall respectively be substituted, namely :—

"FORM II

(See rule 6)

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of application* for establishment of a new undertaking/unit/division.

PART 'A'

Particulars about the person or authority making the Application

1. Name and address of the applicant

2. Please state whether the requisite fees required under rule 10 of the MRTP Rules, 1970 has been paid (Bank demand draft or the original copy of the challan to be enclosed)

3. Names of the trade journal and newspapers in which a general notice as per rule 4A of the MRTP Rules, 1970 has been published.

(Original press cuttings of each publication and a certificate as to the date of publication to be enclosed)

4. Indicate the legal status of the owner of the undertaking (whether sole proprietory concern/partnership firm/Hindu undivided family/body corporate/other association of individuals or/trust)

5. If the owner of the undertaking is a sole proprietory concern, give the following details :

(a) Name(s) and address(es) of the proprietor(s).

(b) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (a) above in other organisations.

6. If the applicant is a partnership firm, furnish the following details:

(a) Names and addresses of the partners.

(b) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (a) above in other organisations.

7. If the applicant is a body corporate, give the following information:

(a) Name of the body corporate and the address of its registered office.

(b) Names and addresses of all the units and divisions of the undertaking owned by the body corporate.

(c) Names and addresses of the Directors, including Chairman, Managing/Whole-time Directors and Manager, if any.

(d) Particulars of the proprietorships, partnerships or director-ships held by the persons shown against (c) above in other organisations/body corporates.

(e) Authorised, subscribed and paid-up capital (both equity and prefrence) of the body orporate.

(One copy each of the annual accounts for the last three years to be enclosed).

(f) Existing shareholding pattern in the following form :

Name of the shareholder	Equity capital		Preference capital	
	No. of shares held	Percentage to the total capital	No. of shares held	Percentage to the total capital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) Promoters				
(ii) Relatives and Friends of the promoters				
(iii) Directors				
(iv) Relatives and friends of the Directors				
(v) Associated Persons				
(vi) Inter-connected undertakings				
(vii) Other undertakings				
(viii) Banks other than financial institutions				
(ix) Financial Institutions**				
(x) Non-residents (foreign companies/individuals)				
(xi) Indian Public				
TOTAL				

* Twelve copies of the application are required to be sent.

** Indicate in a separate sheet shareholding of each financial institutions.

(g) Existing borrowings in the following form :—

Source from which funds raised	Loans including pubilc deposits	Debentures	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Promoters and Directors and their relatives, friends and associated persons.			
(ii) Owners of inter-connected undertakings.			
(iii) Owners of other undertakings			
(iv) Banks other than financial institutions.			
(v) Financial Inttitutions*			
(vi) Indian Public			
(vii) Other sources (to be specified)			
TOTAL			

(h) Existing debt-equity ratio
(A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors of the company to be enclosed).

8. In case the applicant is already engaged in the productio of any goods, furnish the following particulars in respect of *each* article:

(a) Name of the article

(b) Licensed capacity

(c) Installed capacity

(d) Actual production, both in terms of quantity an value, during the preceding three years.

9. If the applicant is engaged in the storage, supply, distr bution, marketing or control of any goods, furnish the following information :

(a) Name of each of the goods.

(b) Turnover, both in terms of quantity and value, duri the preceding three years.

10. In case the applicant is engaged in rendering service(s), give the following information in respect of *each* service:

(a) Particulars of the service

(b) Volume of the service expressed in terms of usual measures as also the income and turnover from each service during the preceding three years.

PART 'B'

Particulars about the proposed new undertaking/unit division.

11. Name and address of the proposed new undertaking/unit/ division

12. Furnish the following information regarding each of the undertaking(s) with which the proposed new undertaking will get inter-connected *or* to which the proposed new unit or division will be added:

(a) Name and address of the undertaking

(b) Number and date of registration under section 26 of the Act.

(c) In case the undertaking is not registered, indicate
(i) the date on which it became registrable; and
(ii) the number and date of the default notice, if any, issued by the Government for registration

13. Is any of the undertakings referred to in item 12 above a dominant undertaking ? If so, give the name of the undertaking and the good(s)/service(s) in relation to which it is dominant.

14. Proposed location, indicating whether it falls in a 'no industry' district or otherwise in a backward district, as notified by the Central Government.

15. If the proposal relates to the production of good(s)/article(s) furnish the following information:

(a) Name(s) of the good(s)/article(s)

(b) Proposed licensed capacity.

(c) Estimated annual production, both in terms of quantity and value.

(d) Percentage share in the all-India production of the same goods/articles separately for each good/article in the following format:

Existing total annual production of the under taking	Existing total production in the whole country	Source(s) of the figures given in col (2)	Total production after proposed expansion	(1) as % of (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

16. If the proposal does not relate to the production but to the storage, supply, distribution, marketing or control of any good(s) or article(s), or to the provision of any service(s) furnish the following information:

(a) Name(s) of the good(s)/article(s) or particulars of the service(s)

(b) Estimated annual production, both in terms of quantity and value or turnover in terms of value of services provided as the case may be.

* Indicate on a separate sheet borrowings from each financial institutions.

(c) Percentage share on all-India basis, separately for each good/article or service, as the case may be:—

Existing total annual value of goods or services stored or supplied or distributed or marketed or controlled or provided, as the case may be by the undertaking	Value of of goods or services referred to in col (1) in the whole country (turnover in the case of service(s) provided)	Value of goods or services referred to in col. (1) after the proposed expansion of the undertaking	(1) as % of (2)	Sources of figure given in col (2).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

17. If any of the undertakings referred to in Item 12 above is engaged in the production, storage, supply, distribution, marketing or control of the same good(s)/article(s) or in providing the same service(s) as are the subject matter of the proposal, furnish full particulars thereof, giving, interalia, information on the following points:—

(a) Licensed capacity

(b) Installed capacity.

(c) Annual production/turnover, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.

(d) Percentage share on all-India basis (to be given in the same format as in Column 16(c) in respect of each such undertaking)

18. Demand and supply position in the whole country:

Existing demand	Projected demand in the next 5 to 10 years or in the current and the next Five Year Plan period (terminal years only)	Capacity already approved	Capacity actually installed
(1)	(2)	(3)	(4)

Actual production/turnover in the last three years—year-wise	Gap between		Sources of information given in columns (1), (2), (3), (4) and (5)
	(1) minus (3)	(2) minus (5)	
(5)	(6)	(7)	(8)

19. Nature of the proposed goods/articles:

(a) Whether included in Appendix-I to the Government's Industrial Policy Statement dated 2-2-1973, as amended from time to time.

(b) Whether reserved for the small Scale Sector.

(c) Likely impact on the Small/Medium Sca or on the Public Sector.

20. Technology:

(a) Whether the manufacture of the proposed goods or the proposed service involves sophisticated technology.

(b) Whether the technology has been developed by the applicant or by any other domestic Research and Development set-up.

(c) Particulars of foreign collaboration, if any.

21. State the export potential of the proposed good(s)/service(s) and whether the applicant is prepared to accept certain export obligation.

22. Does the proposal involve utilisation of any wastes ? If so, give details.

23. Has the proposal any pollution angle ? If so, mention the anti-pollution measures proposed to be taken.

24. Estimated project cost, giving the break-up of investment to be made on:

	Rs. in lakhs
(a) Land	
(b) Building	
(c) Machinery	
(i) Imported	
(ii) Indigenous	
(d) Margin money for working capital	
(e) Other heads (to be specified)	

25. Precise scheme of finance, indicating clearly the amount to be raised from:

	Rs. in lakhs
(a) Equity capital	
(b) Preference capital	
(c) Debentures	
(d) Banks other than financial institutions	
(e) Financial Institutions (rupee loans)	
(f) Foreign Exchange loans	
(g) Central subsidy	
(h) State subsidy	
(i) Other sources (to be specified)	

26. Promoters' contribution in the proposed scheme of finance, i.e.;

(a) Amount to be contributed by the applicant interconnected undertakings, their Directors and the relatives, friends and associated persons of the directors towards:

(i) Equity capital

(ii) Preference capital

(iii) Debentures

iv) Unsecured loans

(b) Amount to be contributed by the Joint Sector Partner if any, towards:
(i) Equity capital
(ii) Preference capital/Debentures/loans

(c) Amount contributed by the foreign collaborators, if any, towards:
(i) Equity Capital
(ii) Preference Capital/Debentures/loans

(d) Amount contributed by other promoters, if any (to be specified)

27. Debt-equity ratio after the proposed scheme of finance has been implemented (A statement showing calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors to be enclosed).

28. Was any similar proposal made earlier under the MRTP Act, 1969 and/or Industries (Development & Regulation) Act, 1951 ? If so, the particulars of the proposal, the decision taken by the Government and the number and date of the communication through which the decision was conveyed may be indicated.

29. Any other information which is considered to be relevant.

Signature of Principal Officer

Place:.....

Date:.....

VERIFICATION

I,.....do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 29 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer

FORM IIA

[See rule 4A (1)]

Form of general notice to be given to the members of the public before making an application to the Central Government under sub-section (2) of section 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that

.....

(mention here the name of the person or authority making the application).

.....proposes to make an application to the Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi under sub-section (2) of section 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for approval to the establishment of a new undertaking/unit/division. Brief particulars of the proposal are as under:

1. Name and address of the applicant

2. Capital structure of the applicant organisation.

3. Management structure of the applicant organisation indicating the names of the Directors, including Managing/Whole-time Directors and Manager, if any.

4. Indicate whether the proposal relates to the establishment of a new undertaking or a new unit/division.

5. Location of the new undertaking/unit/division.

6. Capital structure of the proposed undertaking.

7. In case the proposal relates to the production, storage, Supply, distribution, marketing or control of any goods/articles, indicate:
i) Names of goods/articles.
(ii Proposed licensed capacity.
(iii) Estimated annual turnover.

8. In case the proposal relates to the provision of any service, State the volume of activity in terms of usual measures such as value, income, turnover, etc.

9. Cost of the project.

10. Scheme of finance, indicating the amounts to be raised from each source.

Any person-interested in the matter may make a representation in quadruplicate to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhavan, New Delhi, within 14 days from the date of publication of this notice, intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Dated this day of .....19.....

Signed

(Name and designtaion of the Principal Officer of the undertaking, of the person, or of any officer authorised to sign for and on behalf of the authority issuing the notice)."

(4) After Form IIA, the following form shall be inserted, namely:—

"FORM IIB

(See rule 6A)

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969.

Form of application* for modification of the scheme of finance relating to the establishment of a new undertaking/unit/division.

1. Name and address of the applicant

2. Please state whether the requisite fee as required under rule 10 of the MRTP Rules, 1970 has been paid.
(Bank draft or the original copy of the challan to be enclosed).

3. Name and address of the new undertaking unit/division.

4. Indicate the legal status of the owner of the undertaking.

(whether sole proprietary concern/partnership firm/Hindu undivided family/body corporate/other association of individuals or/trust).

6. If the applicant is a sole proprietary concern or a partnership firm, furnish the following information about its capital structure:

(a) the investment made by the proprietors/partners, their relatives, friends and associates,

(b) foreign participation, if any and the terms and conditions of such participation; and

(c) borrowings, giving break-up of loans raised from banks insurance companies, financial institutions and othe sources.

*Five copies of the application are required to be sent.

6. If the applicant is a body corporate, give the following information:

(a) Name of the body corporate and the address of its registered office

(b) Names and addresses of all the units and divisions owned by the body corporate.

(c) Names and addresses of the Directors, including Chairman, Managing/Whole-time Directors and Manager, if any.

(d) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (c) above in other organisations/body corporates.

(e) Authorised, subscribed and paid up capital (both equity and preference) of the body corporate. (One copy each of the annual accounts for the last three years to be enclosed).

(f) Existing shareholding pattern in the following form:

Name of the shareholder	Equity capital		Preference capital	
	No. of share held	percentage to the total capital	No. of shares held	Percentage to the total capital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) Promoters				
(ii) Relatives, associates and friends of the promoters				
(iii) Directors				
(iv) Relatives, associates and friends, of the Directors.				
(v) Inter connected undertakings				
(vi) Other undertakings				
(vii) Banks other than financial institutions				
(viii) Financial institutions.				
(ix) Non-residents (foreign companies/ individuals)				
(x) Indian Public				
TOTAL				

(g) Existing borrowings in the following form :

Source from which funds raised	Loans including public deposits	Debentures	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Promoters and Directors and their relatives, friends and associates			
(ii) Inter connected undertakings			
(iii) Other undertakings			
(iv) Banks other than financial Institutions.			
(v) Financial institutions.			
(vi) Indian Public.			
(vii) Other sources (to be specified).			
TOTAL			

(h) Existing debt-equity ratio

(a statement showing the calculation of the debt equity ratio, duly certified by the auditors of the company to be enclosed)

7. Details about the new undertaking/unit/division, the establishment of which has already been approved under section 22 of the Act. (A copy of the order passed by the Government to be attached)

8. Project cost:

Head of expenditure	Cost as estimated earlier (Rs. in lakhs)	Revised cost estimate (Rs. in lakhs)	Extent of increase/ decrease) (Rs. in lakhs)	Full reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) Land				
(b) Building				
(c) Machinery				
(i) Imported				
(ii) Indigenous				
(d) Margin money for working capital				
(e) Other Heads (to be specified)				
TOTAL				

9. Scheme of finance:

1	2	3	4	5
Source of finance	Amount which was to be raised earlier (Rs. in lakhs)	Amount now sought to be raised (Rs. in lakhs)	Extent of increase/ decrease (Rs. in lakhs)	Reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) Equity capital				
(b) Preferne capital				
(c) Debentures				
(d) Banks other than financial institutions				
(e) Financial institutions (Rupee loans)				
(f) Foreign Exchange loans				
(g) Central subsidy				
(h) State subsidy				
(i) Other sources to be specified).				
TOTAL:				

10. Promoters' contribution in the scheme of finance:

Particulars of Contribution	As per the earlier scheme of finance (Rs. In lakhs)	As per the modified scheme (Rs. in lakhs)	Extent of increase/decrease (Rs. in lakhs)	Reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) Amount to be contributed by the applicant, inter-connected undertakings, their Directors and the relatives, friends and associates of the Directors towards:				
(i) Equity capital				
(ii) Preference capital				
(iii) Debentures				
(iv) Unsecured loans				
(b) Amount to be contributed by the Joint Sector Partner, if any, towards:				
(i) Equity capital				
(ii) Preference capital/ debentures/loans				
(c) Amount to be contributed by the foreign collaborators, if any, towards:				
(i) Equity capital				
(ii) preference capital/ debentures/loans				
(d) Other promoters, if any, (to be specified)				
TOTAL:				

11. Debt-equity ratio after the modified scheme of finance has been implemented

(A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors to be enclosed).

12. Indicate whether the equity shares are proposed to be listed on a recognised stock exchange

13. Any other information considered to be relevant

Signature of Principal Officer.

Place :
Date :

VERIFICATION

I,.....AB.....do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 13 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer"

(5) For Forms III, IIIA, IV and IVA, the following shall respectively be substituted, namely:—

"FORM III

[See rule 7(1)]

Challan No. ————————

Bank Draft No. ————————

Dated ————————

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969.

Form of application to the Central Government for Merger/Amalgamation pursuant to section 23(2) of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Act, 1969.

1. Name & Address of the applicant (Party to the proposed scheme of merger/amalgamation) to which Part A of Chapter III of the Act applies/would apply.

2. Full details of the proposed scheme of merger/amalgamation (a copy of the scheme should be attached)

3. Details of the capital structure/capital investment of the undertakings proposed to be amalgamated/merged.

4. Form of management of the undertakings proposed to be amalgamated/merged.

5. In case, the proposal involves merger or amalgamation of two or more bodies corporate, please indicate:

(i) the names and addresses of the directors/managers of each of the bodies corporate;

(ii) names and addresses of the shareholders holding 5% or more of the equity share capital of each of the bodies corporate;

(iii) Shareholding pattern of each of the bodies corporate at present, and of the amalgamated company after amalgamation/merger as detailed below:

(a) Financial Institutions [as defined in section 2(da) of the Act]

(b) Non-residents

(c) Directors and their relatives

(d) Inter-connected bodies corporate

(e) Indian Public

6. The description of the goods produced, supplied, distributed or controlled or services rendered by the undertakings during the relevant period.

7. Share of the concerned undertakings in respect of each of the products during the relevant period (Please furnish details about licensed capacity, and production/turnover, separately in respect of each undertaking).

8. The name(s) and address(es) of all undertakings inter-connected with the concerned undertakings, alongwith the name and address of sole proprietory partners/directors, capital structure, annual turn-over and the share in respect of each product in terms of licensed/installed capacity, production supply, distribution or control and/or services rendered, of each such undertaking.

9. Please furnish full particulars as in item No. 8 above in respect of each undertaking which would become inter-connected with the undertaking which will be brought into existence by the proposed scheme of merger/amalgamation.

10. The object(s) sought to be achieved by the proposed merger/amalgamation.
(The reasons given must be comprehensive and accompanied by supporting evidence).

11. In case, the proposed merger/amalgamation is likely to bring in a change in the market structure with reference to any product that may be produced, supplied, distributed or otherwise controlled, or service rendered, the details thereof.

12. Any other information which the applicant wishes to furnish.

13. Please attach the following:—

(i) One copy each of the annual accounts of the concerned companies for the last three years.

(ii) One copy each of the annual accounts for the last three years of the owners of the undertakings which would be inter-connected.

(iii) An authenticated copy each of the clippings in original of the public notices published in newspapers/journal pursuant to rule 4A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970.

(iv) One copy each of the the Memorandum and Articles of Association of concerned companies.

(v) Certified copies of relevant resolutions passed by the Board of Directors/Shareholders of the concerned companies.

(vi) Basis of arriving at the proposed exchange ratio and certified copy of the valuation report, if any. (six copies).

(vii) Challan/Demand Draft towards payment of prescribed application fee.

Signature of Principal Officer

Place :

Date :

VERIFICATION

I, AB do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 12 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Principal Officer

FORM III-A

[See rule 4A(1)]

Form of general notice to be given to the members of th public before making an application to the Central Governm... under sub-section (2) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public tha

(here mention the name of the company)

proposes to make an application to the Central Governmer in the Department of Company Affairs, New Delhi, under sub section (2) of section 23 of the Monopolies and Restrictiv Trade Practices Act, 1969, for approval to its scheme of merger amalgamation with the

(here give the name(s) of companies with which merger or amal gamation is proposed).

Brief particulars of the scheme are as under:

(i) Name and address of the applicant

(ii) Management structure of the undertaking(s) propose to be merged/amalgamated

(iii) Capital structure of the undertaking(s) proposed be merged/amalgamated

(iv) Present activities of the undertaking(s) proposed be merged/amalgamated

(v) Brief particulars of the proposed scheme of merge amalgamation, indicating the objectives proposed be achieved

(vi) Details of the exchange ratio/consideration propos for shareholders/creditors of the amalgamated/merg undertaking.

2. Any person interested in the matter may make a represe tation (in quadruplicate) to the Secretary, Department of Co pany Affairs, Government of India, Shastri Bhavan, Dr. Raje dra Prasad Road, New Delhi within 14 days from the date publication of this notice intimating his views on the propo and indicating the nature of his interest therein.

Signature of Principal Offi

Dated this day of——19——

FORM IV

[See rule 7(2)]

Challan No.
or
Bank Draft No.

Dated

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of application to the Central Government regarding proposals to take over the whole or part of an undertaking pursuant to section 23(4) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

1. Name and address of the applicant proposing to take over another undertaking or a part of it.

2. Registration Number, if any, of the undertaking.

3. Name, address, number and date of registration of each undertaking inter-connected with the undertaking of the applicant.

4. Please indicate—

(i) if the undertaking is owned by a body corporate—

(a) names and addresses of directors, including managing/whole-time directors and manager, if any.

(b) Full details of the proprietorships, partnerships and directorships held by the directors in other undertakings, inter-connection between the undertakings, if any, should be brought out.

(c) capital structure/proposed capital structure, of the body corporate giving details of shares held by financial institutions [as defined in section 2(da) of the Act], non-residents, interconnected bodies corporate and Indian public.

(d) Debentures and borrowings, if any, giving details of debentures issued to, or loans taken from, financial institutions [as defined in section 2(da) of the Act], foreign collaborators, if any, and interconnected undertakings, indicating the nature of security, if any.

(e) Names and addresses of the shareholders having 5% or more of the equity share capital.

(f) names and addresses of all inter-connected undertakings giving nature of business activities of each.

(ii) If the undertaking is owned by partnership firm—

(a) names of the partners and their addresses.

(b) full details as at (b) to (f) in sub-item (i) above, as far as applicable.

(iii) In any other case—

(a) Names of the owners and their address/es

(b) full details of the proprietorships, [partnerships or directorships held by persons shown against (a) above in any interconnected undertaking and in any other undertaking.

(c) capital structure/proposed capital structure of the undertaking.

(d) capital structure of the owner of all inter-connected undertakings.

(e) capital structure (including debentures and borrowings) of other undertakings in which the owners have made investment and the extent of investment in each case.

(f) full details of foreign participation, if any, in the undertaking and in the inter-connected undertakings, indicating the name and address of foreign collaborators and the terms and conditions of such participation.

(g) full details of borrowings indicating specifically the borrowings from banks and financial institutions with names and amounts. Similar details in respect of inter-connected undertakings may also be furnished.

5. Lines of business of the applicant. The description of goods manufactured, supplied, distributed or otherwise controlled or services rendered by the undertaking should be precisely given, including the value, cost, price, quantity or capacity, as the case may be, of each of the goods and services.

6. Please indicate the quantum and/or value, as the case may be, of the same or similar goods or goods which are subject of different forms of production produced, supplied, distributed or otherwise controlled and the value of same or similar services rendered during the relevant period referred to in Explanation VI to clause (d) of section 2 of the Act by each undertaking inter-connected with the undertaking of the applicant.

7. Indicate the estimated quantum and value of goods to be produced, supplied, distributed or controlled and the value of services to be rendered during the current calendar year.

8. Name and address of the undertaking, the whole or part of which is proposed to be taken over. Please indicate the registration number of the undertaking if it is registered under the Act.

9. Please give full details of the proposed take-over including the following :

(a) if it is proposed to acquire shares of another body corporate, the details of shares involved including the voting power which such shares bear to the total voting power mode of valuation, how the offer was made to the other body corporate or the shareholders of the other body corporate, number of shareholders who have agreed to sell their holdings for cash or in exchange of the shares of the applicant. In case the offer was not made to all the shareholders of the other body corporate, the reasons therefor should be clearly indicated.

(b) if it is proposed to purchase the whole or part of an undertaking, the proposed purchase price, the basis on which it is arrived at including the mode of valuation adopted.

(c) if it is by way of mortgage, lease or licence or under any agreement or other arrangement, details thereof.

10. The lines of business of the undertaking proposed to be acquired indicating the nature of goods produced, supplied, distributed or otherwise controlled or the nature of services rendered during the relevant period referred to in Explanation VI to clause (d) of section 2 of the Act. The names of the proprietors/partners/directors and their addresses and the capital structure of the undertaking or its owner, as the case may be, including borrowings.

11. Please indicate the quantum and/or value, as the case may be, of the goods produced, supplied, distributed or controlled or services rendered by the undertaking proposed to be acquired.

12. Lines of business of the undertakings which will or is likely to emerge as a result of the proposed take-over. Please give the following details :

Sl. No.	Description of goods / Nature of services	Present annual licensed/installed capacity/value of production/services of the applicant undertaking	Estimated annual licensed/installed capacity/value of production/services of the resulting undertaking	Estimated makret share as per col. 3 and 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

13. (a) Scheme of finance—

Please furnish full details regarding the scheme of finance for the proposed take over indicating the estimated capital outlay.

(b) Source(s) of Finance—

(i) If it is proposed to finance the takeover from internal resources, indicate precisely in what manner, the funds will be generated.

(ii) In case it is proposed to obtain loans, please set out in detail the sources, the terms and conditions, rate of interest and terms of repayment.

(iii) if it intended to borrow from any bank or financial institution, please state the terms and conditions, thereof including option, if any, of the leading institution to appoint its nominee(s) on the management and /or convert the loan or any part thereof into equity share capital.

(iv) Please furnish full details of any foreign exchange involved. Indicate the names of persons or institutions.

(v) (a) attach a separate statement showing the financial and liquidity position on the last day of the accounting year which closes during the calendar year immediately preceeding the calendar year in which the application is made.

(b) In case it is proposed to issue fresh capital, full details thereof indicating shares proposed to be issued to non-residents and financial institutions.

(c) if the proposal involves exchange of shares, please indicate the basis on which the proposed exchange ratio is worked out.

14. Any other information which the applicant may wish to furnish.

15. Please furnish the following :

(i) one copy each of the annual accounts of the the applicant and the undertaking proposed to be taken over.

(ii) An authenticated copy each of the clippings in original of the public notices published pursuant to rule 4A of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Rules, 1970.

(iii) One copy each of the Memorandum and Articles of Association of concerned undertakings.

(iv) Certified copies of the resolution(s) passed by the Board of Directors/Shareholders of the undertakings concerned.

(v) Challan/Demand Draft towards payment of prescribed application fee.

Signature of Principal Officer

VERIFICATION

I, AB do hereby solemnly state that what stated in item 1 to 15 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer

FORM IVA

[See rule 4A(1)]

Form of general notice to be given to the member of the public before making an application to the Central Government under sub-section (4) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

1. It is hereby notified for the information of the public that————————————————pro-
(mention here the name of the applicant)
poses to make an application to Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi under sub-section (4) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for approval to the take over of the whole or part of ————————————————
(mentioned here the name of the undertaking to be taken over).

Brief particulars of the proposal are as under :—

(i) Name and address of the applicant.

(ii) Name and address of the undertaking the whole or part of which is proposed to be taken over and the manner of take over i.e. by acquisition of shares, acquisition of control or management, whether b the acquisition of the ownership of the undertakin or under any mortgage lease or licence or under an agreement or other arrangement.

(iii) Management structure of the applicant.

(iv) Capital structure of :

(a) the applicant

(b) the undertaking proposed to be taken over

(v) Line(s) of business of the undertaking which will o is likely to emerge as a result of the proposed tak over.

(vi) Consideration for the take-over.

(vii) Scheme of finance indicating the source(s) of financ for the propose take-over.

2. Any person interested in the matter may make a represen tion to Secretary, Department of Company Affairs, Goverr ment of India, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasa

Road, New Delhi, within 14 days from the date of publication of this Notice intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Signature of the Principal Officer

Dated this day of .....19...."

(6) For Form VI, the following shall be substituted, namely:—

"FORM VI

[See rule 9]

Challan No.

Bank Draft No.

Date

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of application for Registration of undertaking.

PART 'A

GENERAL

1. Name of the owner of the undertaking(s).
2. Address
   (a) Registered Offices :
   (b) For correspondence
3. Type of ownership [Public Limited/Private Limited/Firm/Sole Proprietory concern/Individual/Hindu Undivided Family/Others (Please specify)]
4. Particulars of registration of owner/undertaking(s)

Name of the owner/undertaking(s)	Name of the statute(*)	Registration No. and date	State/Place of registration
1	2	3	4

5. Nature of Business Activities

Sl. No.	Name of undertaking	Existing/ proposed	Location/ Place/State	Nature of Business Activities
1	2	3	4	5

6. Give the following particulars according to the nature of activity .

Sl. No.	Name(s) and location(s) of the unit(s)£	Goods manufactured/Services rendered/otther activities
1	2	3

7. Section and date on which the provisions of the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Act, 1984 became applicable to the undertaking(s)

Section	Date
20(a)(i)	
20(a)(ii)	
20(b)(I)	
20(b)(Ii)	

* Companies Act/Factories Act/Any other State Act.

£ Including units located in territories to which the Act does not apply.

PART 'B'

MANAGEMENT AND SHAREHOLDING PATTERN

8. If the undertaking is owned by a sole proprietory concern/Hindu Undivided Family/Association of Individuals Trusts or a partnership firm, please furnish the following information in respect of the undertaking, as well as the interconnected undertakings :—
   (i) Particulars of capital — Annexure I
   (ii) Particulars of owners — Annexure IA
   (iii) Particulars of relatives of owners who are holding posltions in other organisations — Annexure IB
9. If the undertaking is owned by a body corporate, please furnish the following information in respect of the undertaking as well as the Interconnected undertakings
   (i) Particulars of share capital — Annexure II
   (ii) Particulars of Board of Directors — Annexure IIA
   (iii) Particulars of relatives of each director who are holding positions in other organisations — Annexure IIB
   (iv) Particulars of employees of the undertaking who are holding positions in other organisations — Annexure IIC
10. If the undertaking has entered into any foreign collaboration agreement, please give details [a copy of the agreement(s) may also be attached].

PART 'C'

INTER-CONNECTED UNDERTAKINGS

11. Particulars of undertakings inter-connected with your undertaking with the meaning of section 2(g) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act [Please furnish details for all undertakings, whether registered, under default notice or not registered under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act but satisfying the criteria for inter-connection under section 2(g)].

Sl. No.	Name and address of the undertaking	Total value of assets As on	Rupees In lakhs	if registered/ under default notice	Basis for interconnection
1	2	3	4	5	6

12. Please enclose a copy of the latest balance sheet of your undertaking.

PART 'D'

CAPACITY, PRODUCTION, EXPORT AND SALES

13. Please give particulars of licensed and installed capacity, production export and sales of your undertaking(s) and those of inter-connected undertaking(s) separately for each product for three calendar years preceding the preceding year as per Annexure III.

Signature of Principal Officer

N me ——————

Designation ——————

Place :

Date :

I,——————, do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 13 above and the Annexures are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer

(to be completed by the Government of India).

1. Date of receipt of application
2. Date of registration
3. Registration number
4. Date of issue of registration Certificate to the undertaking.

Signature of receiving officer.

ANNEXURE I

Particulars of proprietors/partners as on——————

Sl. No.	Name and address of sole proprietor/partners	Percentage of share in profit/loss
(1)	(2)	(3)
	TOTAL	

ANNEXURE IA

Particulars of owners regarding other positions held as on——————and within a period of six months prior thereto.

Sl. No.	Name & address*	Inter se relationship**	Details of position held in other organisations as Director, Partner, Manager, Proprietor, Adviser, Trustee, Consultant, Executive or Employee***	Date of Appointment	Date of Resignation, if applicable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*(i) Please give full name

**(ii) As defined in section 6 of the Companies Act, 1956

***(iii) Please state if nominee of any Government/Financial Institution/Corporation/other body corporate.

(iv) Please specify if Chairman/Managing Director/Wholetime Director/Technical Director/Manager, etc.

(v) Please state, if position is held as director or Manager in other organisations as your nominee; in case of executive positions' please state if there is any agreement with the other concern for such appointment.

(vi) Please state if appointment has been approved/is pending with the Department of Company Affairs.

ANNEXURE IB

Pariticulars of relatives of owners who are holding positions in other organisations as on——————and within a period of six months prior thereto.

Sl. No.	Name of the owner	Name of relative	Relationship*	Details of position held in other organisation as Director, Partner, Manager, Proprietor, Adviser, Trustee Consultant, Executive or Employee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

*As defined in section 6 of the Companies Act, 1956.

ANNEXUREII

PARTICULARS OF SHARE CAPITAL AS ON.....

Paid up Capital

I. Total number of shareholders :

(i) Equity

(ii) Preference

II. Details of Shares.

Class of Shares	Total number of shares.	Face value of each share	paid-up value of each share	If carrying voting rights
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

III. Shareholding pattern :

Please indicate name, address and No. of shares of each class held by each one of the following :

	Equity %	Preference %
(a) Foreign/non-resident holding		
(b) Financial Institutions.		
(c) Banks other than financial Institutions.		
(d) Central/State Governments/ State Financial/Industrial or Investment Corporation.		
(e) Director (indicate for each Director separately).		
Name of Director		
(i) Own name		
(ii) Jointly with relatives.		
(iii) Jointly with others		
(iv) In trust or as trustees.		
(v) Other "associated persons" not included under (i) to (iv) above		
(f) Relatives of each Director (Indicate for each Director separately).		
Name :		
(i) Own name		
(ii) Jointly with others.		
(g) Bodies corporate, firms, trusts not covered earlier (give names and details for each)		
(i) Inter connected undertaking		
(ii) Others.		
(h) Employee of the Company or its inter connected undertakings.		
(i) Each of the top 50 individual shareholders not covered earlier.		

ANNEXURE IIA

MANAGEMENT PATTERN

Particulars of Board of Directors as on..... and within a period of six months prior thereto.

Sl. No.	Name, Designation and address*	Inter relationship**	Date of appointment	Date of resignation, if applicable	Details of position held in other organisation as Director, Partner, Manager, Proprietor, Adviser, trustee consultant, executive or employee.***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

NOTES :

*(i) Please give full name

(ii) Please specify if Chairman/Managing Director/Whole time Director/Technical Director/Manager etc.

(iii) Please state if nominee of any Government/Financial Institutions/Corporation/other body corporate.

**(iv) As defined in section 6 of the Companies Act, 1956.

*** (v) Pease state, if position is held as director or Manager in other organisations as your nominee; in case of executive positions, please state if there is any agreement with the other concern for such appointment.

ANNEXURE IIB

List of relatives of each director who are holding positions in other organisations as on.....and within a period of six months prior thereto.

Sl. No.	Name of Director	Name of relative	Relationship*	Details of position held in other organisations as Director, partner, Manager, Proprietor, Adviser, Trustee, Conusitant Employee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

*As defined in section 6 of the Companies Act, 1956.

ANNEXURE IIC

Particulars of employees of the body corporate as on———— ————and within a period of six months prior thereto.

Sl. No.	Name, Designation and address.*	Whether related to any Director**	Details of position held in other bodies corporate as Director or employee.***
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

NOTES

* (i) Please give full name.

(ii) Please specify if Chairman/Managing Director/Whole-time Director/Technical Director/Manager etc.

(iii) Please state if the appointment has been approved/ is pending with the Department of Company Affairs.

**(iv) As defined in Section 6 of the C mpanies Act, 1956.

*** (v) Please state, if position is held as Director/employee in other bodies corporate as your nominee; Please state if there is any agreement with the other body corporate for such appointment.

ANNEXURE III

[See Part—'D']

CAPACITY PRODUCTION AND SALES DATA FOR THE PURPOSE OF M.R.T.P. ACT, 1969

Name of the Undertaking:
Location of the Factory:

Whether using power for manufacturing :

YES/NO

Year :————————(Relevant for columns 6 to 10)
Average daily employment ————————
Maximum empolyed on any day during the year————
————————

Whether your unit is covered by the Annual Survey of Industries (Census Section) ————————

Sl. No.	Name of the product	Unit of quantity	Capacity @	
			Licensed	Installed
(1)	(2)	(3)	(4)	

Production		Export		Sales*	
Quantity	Value (Rs.) (ex-factory)	Quantity (C.C.B.)	Value (Rs.)	Value	(Rs.)
(5)		(6)		(7)	

Note :— 1. Please furnish information separately for each product.

2. Please furnish information in Col. 4 and 5 for current year and in Col. 6 to 10 for each of three Calendar years preceding the preceding calendar year.

@ As defined in the MRTP (Amendment) Act, 1982, No. 30 of 1982, effective from 18 Augist, 1982.

* Other than exports.

(7) For Forms VIII and IX the following shall respectively be substituted namely:—

"FORM NO. VIII

[See rule 9B (1)]

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969.

Form of application for approval of the Central Government for acqulsition of shares pursuant to section 30B (1) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

1. Name and address of the applicant
2. Names of directors of the applicant, if the applicant is a company giving details of other directorships, partnerships and proprietorships held by them.
3. Proposal for which the approval of Central Government is sought under Section 30B (1) of the Act.
4. Name and address of registered office of the company whose shares are proposed to be acquired.
5. Whether the applicant is constituent of a 'group' within the meaning of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. If so, the name of the group and details of all its constituents.
6. Whether the company whose shares are proposed to be acquired is a subsidiary of any other company. If so, the name of the holding company.
7. Whether the company whose shares are proposed to be acquired is registered/registrable under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. If so, indicate the registration No. and the section under which it is registered.
8. Names of the directors of the company whose shares are to be acquired.
9. Details of the proposed investment
   a) Number and nominal value of shares proposed to be acquired.
   (b) Whether the proposed shares are to be acquired as a result of any transfer or as a result of fresh issue by the company.
   (c) Whether the shares are to be beneficially held by the applicant.
   (d) Rate at which the shares are to be acquired and full justification for the same.
   (e) Amount to be invested.
   (f) Whether the shares are quoted on any stock-exchange. If so, the price at which shares are quoted, date of quotation and name of stock exchange.
   (g) Form of payment
   (h) Break-up value of shares as per Annexure I.
   (i) Value of shares based on yield in accordance with the method of calculation shown in Annexure II.
10. (a) Whether the assets of the company whose shares are proposed to be acquired, were valued by the management with the assistance of a Valuer during the last two years. A statement in respect of the value of assets together with the basis of valuation may be attached to the application.
    (b) In case the fixed assets of the company whose shares, are proposed to be acquired have been revalued at any time full details thereof.

11. Full details of the persons (name, address etc.) from whom the shares are proposed to be acquired.

12. The purpose proposed to be served by acquiring shares and in what ways it is in the interests of the applicant/company.

13. Pattern of the shareholding of the applicant company.

Sl. No.	Name	No. of ord. shares held.	Percentage of ord. shares
1. Financial Institutions/Government companies/corporations (by individual names)			
2. Banks other than financial institutions.			
3. Non-residents.			
4. Bodies corporate inter-connected with the applicant company.			
5. Other bodies corporate.			
6. Directors.			
7. Central Government or State Government.			
8. Others			

14. Pattern of shareholding as at present and after acquisition of shares in the company whose shares are to be acquired.

Sl. No.	Name	No. of equity shares held	Percentage to equity capital
1. Financial institutions as defined in section 2(da) of the Act.			
2. Non-residents (individuals, foreign companies etc.)			
3. Directors and their relatives.			
4. Inter-connected bodies corporate.			
5. Indian Public.			

Note :—1. *In case the shareholding of any individual/constituent exceeds one per cent of the total equity capital of the company, please indicate the name of each such shareholder and the shares held by such shareholder separately.*

2. Please indicate how the shareholding of the applicant together with the inter-connected constitutents of the group exceeds or will exceed after the proposed purchase of shares, twenty-five per cent of the total nominal value of the equity share capital of the company warranting application under section 30B of the Act.

15. (a) Whether the shares are to be acquired in his/its own name or in the name of any other person. If the shares are to be acquired in the name of any other person, give full particulars thereof with relationship, if any.

(b) If the answer to (a) above is in the affirmative, the reason therefor.

16. Relationships/association, if any, of the person acquiring the shares with the transferor (s) and with the directors of the company whose shares are proposed to be acquired.

17. (a) Details of funds available out of which the shares are proposed to be acquired (in case the applicant is a company, cash flow statement for five years including the year in which transfer is proposed shall be attached).

(b) If any part of the amount to be invested is to be financed by borrowings the amount of loan and sources of finance with terms regarding repayment, interest, security etc. to be stated.

18. (a) Whether the provisions of sections 372(4) of the Companies Act, 1956 and/or sections 23, 30C of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 or the provisions of any other law are applicable in respect of the above transaction. If so, whether they have been complied with. *Please give particulars.*

(b) Whether the approval under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 is needed to the proposed acquisition. If so, it may be stated whether necessary approval has been obtained. A copy of the said approval may be enclosed.

19. Whether there will be any change in the composition of the Board of Directors of the company whose shares are proposed to be acquired as a result of the proposed acquisition ? If so, give details.

20. Any other information which the company wants to furnish.

21. Please enclose the following :—

(i) A challan/Bank Draft towards prescribed application fees.

(ii) One copy of the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company whose shares are proposed to be acquired for each of the last three years immediately preceding the year in which the shares are proposed to be acquired.

(iii) One copy of the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the applicant for each of the three years immediately preceding the year in which the shares are proposed to be acquired, if the applicant is a company.

I/We solemnly declare that the facts stated in this application are true to the best of my/our knowledge and the other facts are true to the best of my/our information and belief.

Signature of the applicant

Designation/Description

Dated————

Notes : (a) If this application is incomplete in any respect, the deficiency will be pointed out to the applicant and the period of 60 days mentioned in section 30F of the Act will count from the date from which such deficiency is set right.

(b) The application form together with the enclosures shall be furnished in triplicate.

(c) The information in respect of items 9(h), 9(i) 10(a), 10(b) and 17(a) and (b) need not be furnished if the nominal value of the shares proposed to be acquired is less than Rs.10,000.

ANNEXURE I

BREAK UP VALUE OF SHARES
AS PER THE LATEST BALANCE SHEET

(Rs. in thousands)

Paid up capital :	
Add Reserves and Surplus :	
Less :	
(a) Miscellaneous expenditure to the extent not written off :	
(b) Debit balance of Profit and Loss Account :	
(c) Arrears of depreciation not provided for :	
(d) Contingent liabilities such as :	
(i) Gratuity, taxes, etc. with details :	
(ii) Dividends proposed to be paid out of reserves.	
(iii) Income-tax liability not provided for :	
Total Net Worth	A
Preference Capital	B
Net worth of equity	A—B
Break-up value per equity share	A—B

Total No. of equity shares.

ANNEXURE II

VALUE OF SHARES BASED ON YIELD

(Figures to be given from Balance Sheets for last three years)

Profit	Year ending	Year ending	Year ending
Profit (after depreciation but before tax and after providing for Development Rebate Reserve).			
Add Development Rebate Reserve;			
Loss on sale of assets and any item of expenditure of non-recurring nature.			
A :	A1	A2	A3
Less :	Year ending	Year ending	Year ending
(i) Dividends on Investments (other than trade investments)			
(ii) Interest on Government securities.			
(iii) Profit on sale of fixed assets/ investments and other non-business profits.			
(iv) Excess provision written back			
B :	B1	B2	B3

Pre-tax Profit : C=(A—B)	C1	C2	C3
*Average yearly pre-tax profit : (C1+C2+C3)	1/3rd C		
Less :			
Estimated Tax liability @ 60%	T		
Average net profits after taxation	(C—T)	D	
Capitalising 'D' at 15% return :		$\frac{D \times 100}{15}$ = E	
Add market value of investments on which dividend has been deducted in the above calculations :			F
Net worth : (E+F)			G
Less Preference capital :			H
Net worth of equity :			G—H
Net worth of one equity share :			G—H

No. of equity share.

Note :—In case profit fluctuates considerably during the last three years, average of five years working should be taken.

FORM IX

[See rule 9C(i)]

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969.

Form of intimation to the Central Government of the proposal to transfer shares pursuant to section 30C/Form of application for approval of the Central Government for transfer of shares of foreign companies pursuant to section 30D.

1. Name(s) of the transferor(s) and address(es) of its/their registered office(s).

2. Name(s) of directors of transferor(s) giving full details of directorships/propreitorship/partnership held by them in other bodies corporate.

3. (a) (i) Name and address of the registered office of the company whose shares are proposed to be transferred;

(ii) If the application is under section 30D, state the established place of business in India.

(b) The total issued, subscribed and paid up equity share capital of the company whose shares are proposed to be transferred;

(c) The number, nominal value and other particulars of shares that are proposed to be transferred.

4 Composition of the Board of Directors of the company whose shares are proposed to be transferred indicating nominees, if any of the transferor.

5. Whether the company whose shares are proposed to be transferred, is an undertaking to which provisions of Part A of Chapter III of the Act are applicable. If so, indicate the registration number under the Act.

6. Whether the applicant is a constituent of a 'group' within the meaning of the Act. If so, the name of the group and the details of all its constituents.

7. Shareholding pattern in the following form :—

(i) Financial institutions as defined in sec. 2(da) of the Act. If the transferor is a constituent of a group, the present holding of the group to which the transferor belongs may be indicated.

(ii) Non-residents (individuals, foreign companies etc.)

(iii) Directors and their relatives.

(iv) Inter-connected bodies corporate.

(v) Indian Public.

8 Present holding of the transferor(s), including those of companies under the same management with percentage of shares held, in the nominal value of the subscribed equity share capital of the company whose shares are proposed to be tranferred.

(Note :— Each body corporate which holds more than one per cent total equity share capital shall be indicated separately).

9. Name(s) of the proposed transferee(s) and its/their address(es) :

10. If the transferee is a company, names of its directors.

11. Number and the nominal value of the equity shares already held by the proposed transferee(s) and the other constituents of the group to which the transferee(s) belong in the equity share capital of the company whose shares are proposed to be transferred; and the percentage of shares held to the total equity capital of the company.

12. Number and the nominal value of equity shares held by the transferee(s) and other constituents of the group to which he belongs after the acquisition of the proposed shares and the percentage of shares that will be held after such acquisition to the total equity capital of the company.

13. (a) Whether the assets of the company whose shares are proposed to be transferred were valued by the management with the assistance of a valuer during the last two years. A statement in respect of the value of aspects together with the basis of valuation may be attached to the application.

(b) In case the fixed assets of the company whose shares are proposed to be acquired have been revalued at any time, full details thereof.

14. (a) Nominal value of shares.

(b) Rate at which the shares are proposed to be transferred.

15. Whether the shares proposed to be transferred are quoted on any stock exchange. If so, the rate on which they were quoted, date of quotation and the name of the stock exchange where they are listed may be stated.

16. (a) Break-up value of shares as per the latest balance sheet of the company whose shares are proposed to be transferred as calculated in Annexure I.

(b) Value of shares based on yield basis as calculated in Annexure II.

17. Whether the proposed transfer of shares will result in any change in the composition of the Board of Directors of the company whose shares are proposed to be transferred. If so, the details thereof. (Information to be furnished only in case of intimation under sec. 30C).

18 (a) Whether the approval under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 is needed for the transfer of shares. If so, whether necessary approval has been obtained. A copy of the said approval may be enclosed.

(b) Whether the provisions of section 372(4) of the Companies Act, 1956 and/or section 23(4), 30B of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 or the provisions of any other law are applicable in respect of the above transactions. If so, whether they have been complied with. Please give particulars.

19. (a) The lines of business of the company whose shares are proposed to be transferred. Details regarding items manufactured may be given.

(b) Whether the company whose shares are proposed to be transferred or its subsidiaries is engaged in any industry specified in Schedule to the Act. If so, the details may be furnished.

20. Purpose proposed to be achieved by the proposed transfer of shares.

21. Please enclose a copy each of the following :

(i) One copy of the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company whose shares are proposed to be transferred for each of the last three years.

(ii) A copy of the last Balance Sheet and Profit and Loss Account of the transferor.

(iii) A copy of the latest audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the transferee in case it is a body corporate.

(iv) Challan/Bank Draft towards payment of fees.

22. Any other information which the company wants to furnish.

I/We solemnly declare that the facts stated in the statement are true to the best of my/our knowledge and the other facts are true to the best of my/our information and belief.

Signature of the applicant

Designation/Description.

Date :——————————

Note : (a) If the intimation is incomplete in any respect the deficiency will be pointed out to the applicant and the period of 60 days mentioned in section 30F of the Act will be counted from the date from which such deficiency is rectified.

(b) In respect of intimation under section 30D of the Act, the information may be furnished in respect of the assets etc. of the Indian Branch of the foreign body corporate.

(c) The information together with enclosures shall be furnished in triplicate.

(d) The information in respect of item 13(a) and 13(b) 16(a) and 16(b) need not be furnished if the nominal value of shares proposed to be transferred is less than Rs. 10,000/-.

ANNEXURE I

BREAK UP VALUE OF SHARES
AS PER THE LATEST BALANCE SHEET

(Rs. in thousands)

Paid up capital	
Add Reserves end Surplus :	
Less	
(a) Miscellaneous expenditure to the extent not written off;	
(b) Debit balance of Profit and Loss Account;	
(c) Arrears of depreciation not provided for;	
(d) Contingent liabilities such as	
(i) Gratuity, taxes etc. with details;	
(ii) Dividends proposed to be paid out of reserves;	
(iii) Income-tax liability not provided for :	
Total net worth	A
Preference capital	B
Net worth of equity	A—B
Break up valuc per equity share	A—B

Total No. of equity Shares

ANNEXURE II

VALUE OF SHARES BASED ON YIELD

(Figures to be given from Balance Sheet for the last three years)

	Year ending	Year ending	Year ending
Profit			
Profit (after depreciation but before tax and/after providing for Development Rebate Reserve).			
Add Development Rebate Reserve; Loss on sale of assets and any item of expenditure of non-recurring nature.			
A	A1	A2	A3
Less :			
(i) Dividends on Investments (other than trade investments).			
(ii) Interest on Government securities.			
(iii) Profit on sale of fixed assets/investments and other non-business profits			
(iv) Excess provision written back.			
B :	B1	B2	B3
Pre-tax Profit : C (A—B)	C1	C2	C3
*Average yearly pre-tax profit : (C1 C2 C3)	1/3rd C		

Less :		
Estimated Tax Liability @ 60%	T	
Average net profits after taxation	(C—T)	D
Capitalising 'D' at 15% return :	D x 100 / 15	E
Add market value of investments on which dividend has been deducted in the above calculation :		F
Net Worth :	(E+F)	G
Less Preference Capital		H
Net worth of equity :		G—H
Net worth of one equity share		G—H

No. of equity share

*Note :—In case profit fluctuates considerably during the last thee years, average of five years working should be taken.

(8) After Form IX, the following shall be added, namely :—

"FORM X

[See rule 11A(1)]

REGISTER

1.	Sl. No.
2.	Date of agreement and its duration
3.	Date of filing
4.	Names and addresses of the parties to the agreement
5.	Description of the goods or, services which are the subject matter of the agreement
6.	Substance of the agreement.
7.	Date of agreement etc., relating to variation/determination.
8.	Date of filing the said variation/determination.
9.	Nature of variation/determination
10.	Substance of the order made by the Commission under section 37 with date thereof.
11.	Substance of the order made by the Commission under section 12A/12B, if any, with date thereof.
12.	Remarks

FORM NO XI

[See rule 11A(6)]

(Relating to Restrictive Trade Practice)

FORM OF REGISTER

1. Serial No.
2. Name of Complaint/informant.
3. Name of the undertaking complained against or informed about.
4. Nature and substance of Restrictive Trade Practice alleged.
5. Date of receipt of complaint/information.
6. If the practice alleged relates to an agreement, brief particulars of the agreement.
7. Date of order for investigation made by the Commission/ Director General.
8. Date of receipt of Investigation Report.
9. Substance of the order made by the Commission under section 37 of the Act with date thereof.
10. Substance of the order made by the Commission under Section 12A/12B of the Act, if any, with date thereof.
11. Remarks

FORM XIA

[See rule 11A(6)]

(Relating to Monopolistic Trade Practices)

FORM OF REGISTER

1. Serial No.
2. Name of Complaint/informant.
3. Name of the undertaking complained against or informed about.
4. Nature and substance of Monopolistic Trade Practice alleged.
5. Date of receipt of complaint/information.
6. If the practice alleged relates to an agreement, brief particulars of the agreement.
7. Date of order for investigation made by the Commission/ Director General.
8. Date of receipt of Investigation report.
9. Substance of the order made by the Commission under section 31/37(4) of the Act with date thereof.
10. Substance of the order/made by the C mmission under 12A/12B of the Act, if any, with date thereof.
11. Remarks

589 GI/84—8

FORM XIB

[See rule 11A(6)]

(Relating to Unfair Trade Practices)

FORM OF REGISTER

1. Serial No.
2. Name of Complaint/informant.
3. Name of the undertaking complained against or informed about.
4. Nature and substance of unfair trade practice alleged.
5. Date of receipt of complaint/information.
6. If the practice alleged relates to an agreement, brief particulars of the agreement.
7. Date of order for investigation made by the Commission/ Director General.
8. Date of receipt of Investigation Report.
9. Substance of the order made by the Commission under section 36D of the Act with date thereof.
10. Substance of the order made by the Commission under Section 12A/12B of the Act, if any, with date thereof.
11. Remarks.

FORM XII

[See rule 12(i)(b)]

CERTIFICATE

I,....., son of..... residing/or carrying on business at..... hereby solemnly and sincerely state to the best of my knowledge that there are comprised in these documents appended herewith the wh le of the terms of the agreement or agreements, or the variation or determination and the names of persons who are parties to it including, in the case of an agreement made by a trade association, all person, who are members of the association or are represented thereon by such member.

Signature .....

Place.....

Date....."

[F. No. 38/2/84-CL V]

S.M. DUGAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984